महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

16 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238

dainikmalwaherald@yahoo.com

malwaherald@gmail.com

मालवा हेराल्ड

सुविचार

जीवन एक बार मिलता है और इसे साहसपूर्वक, पूर्ण जागरूकता और सुंदरता के साथ जीना चाहिए।

वर्ष : 16 अंक : 244 | उज्जैन, शुक्रवार 13 फरवरी 2026 | पृष्ठ-8 मूल्य-1 रुपए

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया भवन विकास निगम के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 पोर्टल लॉंच

सड़क एवं भवन विकास कार्यों के लिए म.प्र. शासन के साथ हुए 4 एमओयू

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निर्माण सिर्फ ईंटङ्कपत्थर का संयोजन नहीं, एक अभिनव कला है। इसमें उत्कृष्ट दृष्टिकोण के साथ दीर्घकालिक कार्य योजना को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप अब हर निर्माण कार्य में कन्सेप्चुअल और क्वालिटेटिव एप्रोच अनिवार्य रूप से दिखाई देना चाहिए। गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के विकास के लिए हम सभी को पूरी क्षमता दक्षता से काम करना होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को रवीन्द्र भवन में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोक निर्माण विभाग के तकनीकी अधिकारियों, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अभियंताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैचारिक प्रतिबद्धता और कार्यशैली में जड़ता से बचने और बदलती तकनीकों के अनुरूप स्वयं को अद्यतन रखने के लिए कौशल संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। ऐसी कार्यशालाएं अभियंताओं की स्किल्स को रिफ्रेश करती हैं और उन्हें नई ऊर्जा प्रदान करती हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में दीर्घकालिक दृष्टि, नवाचार और पारदर्शिता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम गतिशक्ति योजना के माध्यम से लोक निर्माण विभाग नवाचारों को धरातल पर उतार रहा है। वर्तमान समय में हमारे इंजीनियर्स साक्षात् भगवान विश्वकर्मा के अवतार हैं। लोक निर्माण विभाग ने पिछले 2 वर्षों के कार्यों के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। इस अवधि में सराहनीय कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता के अंतिम अध्याय में ज्ञान और विज्ञान की बात कही गई है, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार के साथ पंच तत्वों की व्याख्या की गई है। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स की यह कार्यशाला आधुनिक संरचनाओं के निर्माण को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। हमारे इंजीनियर्स ने सांदीपनि विद्यालय सहित बड़े-बड़े अधोसंरचनात्मक विकास के निर्माण कार्य किए हैं। सड़क, पुल, स्टेडियम और भवन जैसे निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ही किये जाते हैं। विभागीय इंजीनियर्स की क्षमता संवर्धन के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण की आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर्स को अपना काम करने में अनेक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। आज की कार्यशाला में एमपीआईडीसी सहित देश की विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते हुए हैं। प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग के विकास को लेकर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कार्यों और नवाचारों के लिए लोक निर्माण मंत्री एवं विभाग को बधाई दीं।

लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने क्षमता संवर्धन कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि विभाग की उस निरंतर सुधार यात्रा का प्रतीक है जिसमें नई सोच, नई प्रणाली और उच्च गुणवत्ता के साथ लोक निर्माण विभाग आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब सोच बदलती है तभी व्यवस्था बदलती है, और यह कार्यशाला विभाग के नवाचारों की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में अधोसंरचना विकास को केवल निर्माण कार्य तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसे सुशासन, पारदर्शिता, तकनीक और नागरिक सुविधा से जोड़ा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, डिजिटल इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, हरित विकास और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब विकास समन्वित सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।

न्यूज ब्रीफ

ब्राजिल के राष्ट्रपति लूला का भारत दौरा, AI समिट में लेंगे हिस्सा; कूटनीतिक हलचल तेज

नई दिल्ली/ जीएनएस। अगले सप्ताह राजधानी दिल्ली में कूटनीतिक गतिविधियां चरम पर रहने वाली हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के प्रस्तावित दौरे के साथ ही अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा भी 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहे इस दौरे को भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति लूला 19-20 फरवरी को आयोजित दूसरे एआई इम्पैक्ट समिट में हिस्सा लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी इस सम्मेलन में प्रमुख मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा 21 फरवरी को उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें दोनों देश आपसी संबंधों की पूरी रूपरेखा की समीक्षा करेंगे। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, दुर्लभ खनिजों, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई), कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष सहयोग जैसे क्षेत्रों में प्रगति पर चर्चा होगी। दोनों नेता वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों, बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग, संयुक्त राष्ट्र सुधार, वैश्विक शासन व्यवस्था और ग्लोबल साउथ से जुड़े विषयों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच एक नये सहयोग की घोषणा होने की संभावना है। राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु उनसे मुलाकात करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर भी राष्ट्रपति लूला से भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि राष्ट्रपति लूला के साथ लगभग 14 मंत्री और ब्राजील की प्रमुख कंपनियों के शीर्ष सीईओ का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। प्रतिनिधिमंडल के मंत्री अपने भारतीय समकक्षों से मुलाकात करेंगे, जबकि कारोबारी प्रतिनिधि मंडल एक बिजनेस फोरम में हिस्सा लेगा।

सोने-चांदी की कीमतें फिर धड़ाम, दिन भर में 8500 गिरे दाम

नई दिल्ली/ जीएनएस। सोने-चांदी की कीमतों में गुरुवार को एक बार फिर बड़ी गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर गोल्ड 1000 रुपए और चांदी 8500 रुपए तक सस्ती हो गई। कीमती धातुओं में यह कमी वैश्विक बाजार में भी देखी गई। कोमेक्स पर गोल्ड 0.27 फीसदी कमजोर हुआ और कीमत 11.20 डॉलर गिरकर 5087 डॉलर प्रति औंस हो गई। जबकि चांदी में 2.03 फीसदी यानी 1.70 फीसदी की गिरावट आई और खबर लिखे जाने तक यह 82 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर 2 अप्रैल 2026 डिलिवरी वाला सोना 0.60 फीसदी यानी 954 रुपए की कमी के साथ 1,57,801 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस दौरान सोने का लो लेवल 1,57,353 रुपए और हाई लेवल 1,58,747 रुपए रहा। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान यह 1,58,755 रुपए पर क्लोज हुआ था। वहीं, जून 2026 डिलिवरी वाले गोल्ड में 399 रुपए की मामूली गिरावट आई और कीमत 1,61,300 रुपए हो गई। इसके अलावा, शाम 7 बजे तक 5 मार्च 2026 डिलिवरी वाली चांदी 2.49 फीसदी यानी 6559 रुपए टूट गई और 2,56,459 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगी। इस दौरान इसका लो लेवल 2,54,526 रुपए और हाई लेवल 2,62,775 रुपए रहा।

क्या होता है सब्सटेंसिव मोशन? राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने लोकसभा में पेश किया प्रस्ताव

नई दिल्ली/ जीएनएस। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में गुरुवार को %सब्सटेंसिव मोशन% (विशिष्ट प्रस्ताव) पेश कर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और भविष्य में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दुबे ने आरोप लगाया कि सोरोस फाउंडेशन और देश को टुकड़े करने वाली ताक़तों के साथ मिलकर राहुल भारत विरोधी काम कर रहे हैं।

साथ ही झूठ बोलकर सदन को भी गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल के खिलाफ डा. निशिकांत के प्रस्ताव के बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पक्ष-विपक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दिन भर प्रभावित रही और अंततः स्थगित करनी पड़ी।

क्या होता है सब्सटेंसिव मोशन- निशिकांत ने लोकसभा के नियम 352(5) और 353 का हवाला देते हुए यह प्रस्ताव पेश किया है। यह ऐसा प्रस्ताव होता है, जिसके जरिए सदन किसी मुद्दे पर अपना मत व्यक्त करता है या निर्णय की मांग करता है।

हालांकि ऐसे प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय सदन की प्रक्रिया और बहस के बाद ही होता है। इस तरह का कदम राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इससे विपक्ष और सरकार के बीच टकराव और गहरा सकता है।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश यात्राओं के दौरान सोरोस फाउंडेशन, यूएसएआईडी और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठनों से जुड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं और भारत विरोधी तत्वों के साथ मिलकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और लोकसभा अध्यक्ष पर लगातार सवाल उठाकर राहुल नई कहानी प्लांट कर रहे हैं। विपक्ष की प्रतिक्रिया

दुबे के बयान के बाद विपक्षी सदस्यों ने कड़ा विरोध जताया और इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी प्रस्ताव से डरने वाली नहीं है और वह संसद में अपनी बात उठाती रहेगी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और राहुल गांधी के वक्तव्यों को रिकार्ड से हटाया जा रहा है।

भाजपा सदस्य वानाथी श्रीनिवासन ने राहुल से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनता ने विपक्ष को सीमित समर्थन दिया है, ऐसे में सदन में व्यवधान पैदा करना उचित नहीं है।

विधानसभा में बिजली व्यवस्था पर शिवपाल और ऊर्जा मंत्री के बीच बहस

लखनऊ/ जीएनएस। गुरुवार को विधान सभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा और सपा सदस्य शिवपाल सिंह यादव के बीच बहस हुई। चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे, तभी सपा सदस्य ने कहा कि हम जापान से आगे हैं। जिस पर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हां, हम जापान से आगे हैं। इस समय देश की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़ आगे निकल गई है। ऊर्जा मंत्री ने अभिभाषण का समर्थन करते हुए कहा कि 2017 से पूर्व राज्य में तापीय परियोजनाओं से बिजली उत्पादन 5800 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 9000 मेगावाट हो गई है। 2017 से पूर्व प्रदेश में सिर्फ एक गांव को बिजली दी जाती थी। चर्चा के दौरान सपा सदस्य स्वामी ओमवेश, राजेंद्र सिंह पटेल, गीता शास्त्री, सर्वेश सिंह, संदीप सिंह, रफीक अंसारी आदि ने अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कहा। वहीं, रालोद सदस्य डॉ. अजय कुमार और प्रसन्न कुमार, अद (एस) के सदस्य जय कुमार सिंह जैकी आदी।

झारखंड कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, नगर निकाय चुनाव में 12 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से किया सस्पेंड

रांची/ जीएनएस। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में डटे प्रत्याशियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। गुरुवार तक कांग्रेस के एक दर्जन बागी उम्मीदवारों को संबंधित जिलों के पदाधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। इसके पूर्व इन सभी को कारण बताओ नोटिस दिया गया था। निलंबित होने वाले नेताओं में गिरिडीह से दो उम्मीदवार हैं पंकज सागर और जुगेश्वर महथा। बोकारो स्थित चास नगर निगम के बागी उम्मीदवार सुल्तान अहमद, मानगो नगर निगम (पू.सिंहभूम) की जेबा खान शामिल हैं। वहीं, मिहिजाम नगर परिषद (जामताड़ा) की बेबी पासवान, चतरा नगर परिषद से राजवीर, कपाली नगर परिषद (सरायकेला खरसावां) से मो. इरफान, गुमला नगर परिषद से ज्योति कुजूर एवं जास्मीन लुगून को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। सिमडेगा नगर परिषद से पुष्पा कुल्लू, चक्रधरपुर नगर परिषद (प.सिंहभूम) के उम्मीदवार बिजय सम्ब्रूई और चाईबासा नगर परिषद (प.सिंहभूम) के मो. सलीम को पार्टी से निलंबित किया गया है।

अब क्लास-3 से पढ़ाई में AI: भारत बोधन कॉन्क्लेव से शिक्षा मंत्री का एलान; हर तरफ होगा इंडिया का बोलबाला

नई दिल्ली/ जीएनएस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि भारत में विकसित की जाने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समावेशी, आसानी से अन्य सिस्टम के साथ काम करने वाली और अपनी क्षमता में मजबूत होगी।

मंत्री यह बात भारत बोधन एआई कान्क्लेव 2026 के उद्घाटन सत्र में कही। इस दो दिवसीय सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, शोधकर्ता, शिक्षाविद और उद्योग के विशेषज्ञ एकत्र हुए हैं।

क्या है सम्मेलन का उद्देश्य- सम्मेलन का उद्देश्य है कि कैसे एआई के जरिए भारत के शिक्षा तंत्र में नवाचार, व्यापक उपयोग और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत की एआई को डिजाइन में समावेशी, आर्किटेक्चर में अंतरसंचालनीय और क्षमताओं में संप्रभु बनाया जाएगा।

हमें अपने छात्रों को सशक्त बनाने और अपने शिक्षकों का समर्थन करने के लिए शिक्षा में एआई को समाहित करना होगा। मैं सभी हितधारकों से आह्वान करता हूं कि वे हमारी शिक्षा को बदलने और विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए विस्तार योग्य, जिम्मेदार, नैतिक, समावेशी और भारत-केंद्रित संप्रभु एआइ माडल विकसित करें।

अब ब्रिटिश पायलटों को ट्रेनिंग देंगे भारतीय वायुसेना के जांबाज, 2 साल के लिए तैनात होंगे 3 इंस्ट्रक्टर

नई दिल्ली/ जीएनएस। भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षक ब्रिटेन जाकर वहां के फाइटर पायलटों को ट्रेनिंग देंगे। यह फैसला दिल्ली में हुई 19वीं यूके-इंडिया एयर स्टाफ टॉक्स के बाद लिया गया।

समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के तीन क्वालिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्स वैली में तैनात किए जाएंगे। RAF वैली ब्रिटेन के एंगलसी में स्थित है और यहां नंबर 4 फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल काम करता है।

यह पहली बार है जब भारतीय फ्लाइट इंस्ट्रक्टर RAF वैली में ब्रिटिश पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग देंगे। इनकी तैनाती शुरुआती तौर पर दो साल के लिए होगी।

किन विमानों पर दी जाएगी ट्रेनिंग - भारतीय प्रशिक्षक RAF के पायलटों को BAE Hawk T2 या Texan T1 विमान पर ट्रेनिंग देंगे। भारत भी हॉक विमान का उपयोग अपने मुख्य एडवांस्ड जेट ट्रेनर के रूप में करता है। हॉक ट्रेनर विमान का निर्माण भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा BAE सिस्टम्स के लाइसेंस के तहत किया जाता है।

हम लेंगे एक्शन, पीएम मोदी के राजनीतिक करियर पर ट्रंप का बयान, भारत ने दी प्रतिक्रिया

नई दिल्ली/ जीएनएस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के एक पुराने बयान को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर से जुड़ा था, जो पिछले साल अक्टूबर में दिया गया था। अब यह वीडियो फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला- विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से ट्रंप के इस बयान के बारे में सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, मैंने वीडियो नहीं देखा है। हालांकि अगर ऐसा कोई वीडियो है, चाहे वह सही हो या गलत, हम उस पर सही एक्शन लेंगे। यह बयान ट्रंप ने 15 अक्टूबर 2025 को दिया था। उस समय भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका और भारत के रिश्तों में कुछ तनाव था।

ट्रंप ने क्या कहा था- व्हाइट हाउस में बोलते हुए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। उन्होंने मोदी को महान व्यक्ति और मजबूत नेता बताया था। साथ ही ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वह रूस से तेल खरीदना बंद करेगा।

हालांकि, भारत ने ऐसे किसी पक्के भरोसे से इनकार किया था। भारत का साफ कहना रहा है कि उसके लिए 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और वह अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर फैसले लेता है।

प्यार वाले बयान पर चर्चा- अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा था कि मोदी ट्रंप से प्यार करते हैं। यह कहते ही उन्होंने तुरंत सफाई दी कि प्यार शब्द को गलत तरीके से न लिया जाए, क्योंकि वह मोदी का राजनीतिक करियर बर्बाद नहीं करना चाहते।

ट्रंप ने हंसते हुए कहा था, ÷मोदी एक महान आदमी हैं। वह ट्रंप से प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप प्यार शब्द को अलग तरह से लें। मैं उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता।÷ यह बयान उन्होंने 17 सितंबर को पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के कुछ दिन बाद दिया था। उस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से सामान्य होते दिख रहे थे।

अब महाकाल की नगरी उज्जैन अवंतिका नगर में

DIPL

SINCE 1991

Innovative Design
Superior Materials
Exceptional Craftsmanship
VISIT US : WWW.DEVSHILP.COM

देवशिल्प इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड

No. 140, 1st Floor. सी-21, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.)

होटल्स, बंगला, फॉर्म हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, शॉप आदि बनवाने के लिए संपर्क करें।

What is the DIPL ?

हमारी खासियत क्या है ?
हम भारत के विभिन्न भागो में हमारी
कम्पनी हर तरह का प्रोजेक्ट करती है।
और हमारी हर जगह टीम तैयार रहती है।
जैसे सिविल पैरोकेक्ट में हमारे पास सभी तरह के
अनुभवी इंजीनियर और सुपरवाईजर टायर रहते है और
भारत विभिन्न भागों में हम कार्य करते है और अभी हमारी
सर्विस अवन्तिका नगरी उज्जैन में भी तैयार है मित्रों हम
हर वक्त तैयार रहते है।
जैसे
कॉनसेक्शन इंटीरियर एक्सटीरियर

संतोष सौराष्ट्रीय 93031-92711

बाबा महाकाल की असीम कृपा से हमारे कार्यालय में एक बार अवश्य पधारे व हमको आपकी सेवा का मौका देवे

श्रीमती कृष्णा सुथार 99072-83928

इन्दौर संभाग में निवेश की बहार, पीएम मित्र पार्क बदनावर के द्वितीय चरण में 7,500 करोड़ रुपये का निवेश

नये निवेश से 55 हजार रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे, शीघ्र तीसरा चरण शुरू किया जाएगा

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। विगत दो माह में इंदौर संभाग ने औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इंदौर संभाग के धार जिले के बदनावर में निर्माणाधीन पी.एम. मित्र पार्क के द्वितीय चरण के अलॉटमेंट में 13 कंपनियों को 320 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिनके द्वारा लगभग 7,500 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इससे 16,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। द्वितीय चरण की पूर्णता के साथ ही पी.एम. मित्र पार्क में कुल 38 कंपनियों से प्राप्त निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 21,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस निवेश से बदनावर क्षेत्र में लगभग 55,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब तक कुल 1,140 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा शीघ्र ही तृतीय चरण प्रारंभ किया जाएगा। वर्तमान में एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा लीज डीड एवं प्लॉट आधिपत्य की कार्यवाही तीव्र गति से संपादित की जा रही है।

द्वितीय चरण में भिलोसा इंडस्ट्रीज द्वारा 4,500 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए 200 एकड़ भूमि आवंटित की जा रही है। इस इकाई से 3,500 नए रोजगार सृजित होंगे। मानव निर्मित धागा (मैन मेड फाइबर) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी भिलोसा इंडस्ट्रीज के प्रदेश में आगमन से एमएमएफ उद्योग के विकास का नया अध्याय प्रारंभ होगा।

यह जानकारी देते हुए एम.पी.आई.डी.सी. के कार्यकारी संचालक श्री हिमांशु प्रजापति ने बताया कि विगत 30-31 जनवरी को चेन्नई में आयोजित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के चिंतन शिविर में मध्यप्रदेश के निवेश आकर्षण मॉडल का प्रस्तुतिकरण प्रमुख सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, श्री राघवेंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आयोजित रीजनल, नेशनल एवं इंटरनेशनल रोड शो एवं कॉन्क्लेव मॉडल की अन्य पी.एम. मित्र राज्यों द्वारा सराहना की गई। एम.पी.आई.डी.सी. के कार्यकारी संचालक ने बताया कि अगला लक्ष्य पी.एम. मित्र पार्क के आसपास सामाजिक अधोसंरचना का विकास करना है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान, अस्पताल, मनोरंजन केंद्र तथा कर्मचारियों हेतु स्वच्छ, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण आवासीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सभी आय वर्ग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है।

डॉ. अम्बेडकर नगर - ओंकारेश्वर रोड आमान परिवर्तन कार्य को मिली गति, पर्यावरण मंत्रालय से सैद्धांतिक स्वीकृति

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर नगर - ओंकारेश्वर रोड आमान परिवर्तन (गेज कन्वर्जन) परियोजना को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

परियोजना के तहत डॉ. अम्बेडकर नगर से मुक्तियारा बलवाड़ा के मध्य, दोनों यार्ड क्षेत्रों को छोड़कर, लगभग 454 हेक्टेयर वन भूमि पर निर्माण कार्य प्रस्तावित है। वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया वन विभाग के साथ प्रचलित थी। रेलवे प्रशासन द्वारा वन विभाग की सभी निर्धारित शर्तों का पालन पूर्ण कर लिया गया है, जिसके उपरांत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंधन) द्वारा मंत्रालय को सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त होने के बाद अब संबंधित क्षेत्र में कार्य आरंभ करने के लिए वन विभाग से अंतिम स्वीकृति का अनुरोध किया गया है। वन विभाग से अंतिम अनुमति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि लगभग 454 हेक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण के लिए रेलवे निर्माण विभाग द्वारा पूर्व में ही 100.08 करोड़ रुपये की राशि वन विभाग को जमा कराई जा चुकी है।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में रेल संपर्क और अधिक सुदृढ़ होगा। साथ ही यात्री सुविधाओं में वृद्धि के साथ माल परिवहन को भी नई गति मिलेगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

इंदौर जिले में कुष्ठ रोगी खोज अभियान जारी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शासन के निर्देशानुसार इंदौर जिले में कुष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आगामी 5 मार्च 2026 तक चलेगा। अभियान के तहत जिले में करीब 1425 दल बनाये गये है, जो घर-घर जाकर कुष्ठ रोग की जानकारी देंगे। इस अभियान में संभावित रोगी की सूची तैयार कर नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्र पर जाँच करायेंगे। जाँच उपरांत सत्यापित नये रोगियों का उपचार शासकीय स्वास्थ्य संस्था में किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया कि वर्तमान में इंदौर जिले में 540 कुष्ठ रोग के मरीजों का उपचार किया जा रहा है। इसकी प्रभाव दर 1.42 प्रचलित है। अभियान के तहत प्रत्येक दल में संबंधित क्षेत्र की आशा कार्यकर्ता के साथ पुरुष स्वयंसेवी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगाई गई है, जो जिले के स्लम एवं हाईरिस्क क्षेत्रों में भी घर-घर जाकर नये कुष्ठ रोगियों की खोज करेगी, जिससे रोग के प्रसार को कम किया जा सके। अभियान को सफल बनाने के लिए ग्राम एवं वार्ड स्तर पर दल गठित किए गए है। सभी दलों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी निवासियों से आग्रह किया है कि अभियान के दौरान जाँच दल का सहयोग करें एवं ज्यादा से ज्यादा जाँच करायें जिससे रोगी की समय पर पहचान हो सके तथा शीघ्र निःशुल्क उपचार प्राप्त हो सके एवं कुष्ठ रोग से होने वाली विकृति से बचाव किया जा सके।

शासकीय विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण को लेकर बैठक आयोजित

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशानुसार आज कलेक्टर कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों के निराकरण को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती कल्याणी पांडे ने विभिन्न विभागों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि किसी शासकीय सेवक की सेवा काल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को नियुक्ति दी जाएगी। मृतक शासकीय सेवक के आश्रित पति/पत्नी द्वारा योग्यता न रखने अथवा स्वयं अनुकम्पा नियुक्ति न लेना चाहे तो उसके नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री को दी जा सकती है। ऐसी विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री, जो दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उसके साथ रह रही हो अथवा उपरोक्त पात्र सदस्य न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु जो शासकीय सेवक की मृत्यु के समय उस पर पूर्णतः आश्रित होकर उनके साथ रह रही हो।

बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती कल्याणी पांडे ने सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करायें, ताकि पात्र व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकें। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ न्यायपूर्ण तरीके से करें।

इंदौर में हेलमेट को लेकर सख्ती, 1762 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से इंदौर पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री आर.के. सिंह एवं पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) श्री राजेश त्रिपाठी के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस लगातार जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है।

सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोटों से होने वाली मौतों को रोकने और नागरिकों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। शहर के प्रमुख चौराहों जैसे पलासिया, विजयनगर, महूनाका, चाणक्यपुरी, राजीव गांधी सर्कल सहित अन्य स्थानों पर विशेष अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट कर आमजन को यह भी बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई उनकी सुरक्षा के हित में की जा रही है, ताकि वे हेलमेट के महत्व को समझें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें।

दिनांक 11 फरवरी को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान कुल 1762 वाहन चालकों के विरुद्ध हेलमेट नहीं पहनने पर चालानी कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

इंदौर ट्रैफिक पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सदैव हेलमेट का उपयोग करें तथा यातायात नियमों का जिम्मेदारीपूर्वक पालन करें, क्योंकि सड़क पर सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है।

निरंजनपुर में बाड़े में आग लगाने वाले दो बदमाश गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में दिया था वारदात को अंजाम

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। निरंजनपुर क्षेत्र में एक फरियादी के बाड़े में आग लगाकर गाय और बछिया को झुलसाने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस थाना लसूडिया ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी दीमान सिंह पिता उमराव सिंह चंदेल, निवासी 471 निरंजनपुर इंदौर, ने थाना लसूडिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने घर के पास बने बाड़े में गाय पालते हैं, जहां लकड़ी का छप्पर बनाया गया है और उसमें एक गाय व उसकी बछिया बंधी रहती हैं। रात करीब 2 बजे मोहल्ले वालों ने उन्हें जगाकर बताया कि उनके बाड़े में आग लग गई है। सूचना मिलते ही फरियादी अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचे और मोहल्ले वालों की मदद से गाय और बछिया को बाहर निकाला। आग से छप्पर पूरी तरह जल गया था और दोनों पशु झुलस गए थे। अज्ञात व्यक्ति द्वारा लकड़ी के छप्पर में आग लगाने की रिपोर्ट पर थाना लसूडिया में अपराध क्रमांक 207/2026 धारा 326(जी) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त जोन-2 श्री कुमार प्रतीक द्वारा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-2 श्री अमरेन्द्र सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त विजयनगर श्री पराग सैनी को आरोपियों की तलाश के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी लसूडिया के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई।

पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया और घायल गाय व बछिया के उपचार के लिए पशु एंबुलेंस को बुलाया। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिनमें दो अज्ञात बदमाश बाड़े में आग लगाते दिखाई दिए। फुटेज के आधार पर आरोपियों के हुलिये प्राप्त कर मुखबिर तंत्र की सहायता से आकाश उर्फ आकाश घोड़ी (30 वर्ष) निवासी सोमनाथ की जूनी चाल एमआईजी इंदौर और सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू वानखेडे (34 वर्ष) निवासी सोमनाथ की जूनी चाल एमआईजी इंदौर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने पुरानी रंजिश के चलते आग लगाने की बात स्वीकार की है। आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार आरोपी सिद्धार्थ के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न थानों में जुआ एक्ट, चोरी, मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं में कई प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना कर रही है।

आकाशवाणी इंदौर ने रचा इतिहास

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आकाशवाणी इंदौर को World Greatest Record का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष 18 अगस्त को श्रीमहाकाल राजसी सवारी का आकाशवाणी इंदौर की क्रियेटिव टीम द्वारा अनवरत 05.30 घंटे तक सजीव ऑखों देखा हाल प्रसारित किया था, जिसे मध्यप्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी 19 केंद्रो द्वारा एक साथ रिले किया गया। इस अभूतपूर्व कार्य की सराहना करते हुए इसे World Greatest Record की सूची में दर्ज किया गया। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में आकाशवाणी इंदौर की प्रसारणकर्ता की टीम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले श्री ब्रहमप्रकाश चतुर्वेदी, सुधा शर्मा, श्री उदित तिवारी, श्री मुकामसिंह चौहान, श्री अखिलेश बाथम के साथ तकनीकी टीम से श्री सुदर्शन अंसोलिया एवं श्री अभय कुमार गुप्ता और कार्यक्रम विंग के साथियों को World Greatest Record के प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के परिसर में आयोजित इस भव्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आकाशवाणी की अभूतपूर्व उपलब्धि राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास में एक नया रिकार्ड स्थापित करने की बात कही। ये रिकार्ड Nirvin World's Greatest Record (NWGR) द्वारा प्रदान किए गए, जिसमें संस्था की सचिव सुश्री लतिका शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहीं।

अडीबाजी के मुख्य आरोपी आशीष पाल को 5 घंटे में दबोचा, जिलाबदर होने के बावजूद दे रहा था वारदात को अंजाम

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना परदेशीपुरा ने अडीबाजी की वारदात के मुख्य आरोपी आशीष पाल को घटना के मात्र पांच घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जिलाबदर होने के बावजूद क्षेत्र में सक्रिय था और वारदात को अंजाम देकर फरार होने की फिराक में था, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया।

पुलिस कमिश्नर इंदौर के निर्देश पर गुण्डे-बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री कुमार प्रतीक एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-02 श्री अमरेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन तथा एसीपी परदेशीपुरा श्रीमती हिमानी मिश्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी परदेशीपुरा द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।

जानकारी के अनुसार 11 फरवरी 2026 को फरियादी नितिन पंवार निवासी आदर्श बिजासन नगर इंदौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर करीब 3 बजे कमेटी हॉल के पास वह खड़ा था, तभी आशीष पाल अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर आया और अडीबाजी करते हुए शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। पैसे देने से मना करने पर आरोपी ने उसके हाथ पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के कुछ घंटे बाद आरोपी ने विकास दुबे निवासी गुरूनानक कॉलोनी अन्नपूर्णा इंदौर के साथ भी चौकसे धर्मशाला के पास मारपीट कर शराब के लिए रुपये मांगे। दोनों मामलों में आरोपी आशीष पाल, शुभम पंडित व एक अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी परदेशीपुरा ने टीम गठित कर मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र की मदद से पुलिस ने घटना के पांच घंटे के भीतर ही आशीष पाल (35 वर्ष) निवासी फिरोज गांधी नगर इंदौर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 15 अक्टूबर 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला इंदौर की राजस्व सीमा से जिलाबदर किया गया था। इसके बावजूद उसने क्षेत्र में आकर वारदात की, जिस पर उसके खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी आशीष पाल और फरियादी नितिन पंवार दोनों ही थाने के सूचिबद्ध बदमाश हैं और आपसी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त चाकू भी जब्त कर लिया गया है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी आर.डी. कानवा, उपनिरीक्षक दीपक जामोद, प्रधान आरक्षक देवीसिंह मीणा, आरक्षक जैवेन्द्र गुर्जर, मोहरसिंह, विकास, दिनेश गोलाने तथा साइबर सेल जोन-2 के आरक्षक विनित और निकिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

राजवाड़ा क्षेत्र में यातायात सुधार के लिए संयुक्त निरीक्षण, पार्किंग और रोड मार्किंग में होंगे आवश्यक सुधार

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में सुचारू, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस और नगर निगम द्वारा राजवाड़ा क्षेत्र में संयुक्त रूप से पैदल निरीक्षण किया गया। पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) श्री आर.के. सिंह और पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) श्री राजेश कुमार त्रिपाठी के साथ नगर निगम के अपर आयुक्त, यातायात पुलिस, नगर निगम की संयुक्त टीम एवं व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने राजवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में लगभग तीन घंटे तक पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान राजवाड़ा, सराफा, कपड़ा मार्केट, खजूरी बाजार, सुभाष चौक सहित आसपास के निर्धारित पार्किंग स्थलों का निरीक्षण किया गया और यातायात व्यवस्था की स्थिति का विस्तृत आकलन किया गया।

निरीक्षण के दौरान यह निर्णय लिया गया कि विभिन्न पार्किंग स्थलों तक वाहन चालकों को सुगमता से पहुंचाने के लिए दिशासूचक बोर्ड लगाए जाएंगे। दुकानों के सामने और सड़क किनारे नए सिरे से सफेद रोड मार्किंग कर सीमांकन स्पष्ट किया जाएगा ताकि यातायात बाधित न हो। निर्धारित पार्किंग स्थलों का पुनः निरीक्षण कर वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जिससे पार्किंग व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हो सके। भ्रमण के दौरान दुकानदारों और व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और सड़क किनारे अतिक्रमण से बचें।

कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से बचाने हेतु टीमों का गठन

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा देश के युवा वर्ग को नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति से बचाने, दूर करने तथा नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने हेतु वर्ष 2016 से नार्को समन्वय केंद्र की स्थापना की गयी थी। नार्को समन्वय केंद्र एक चार स्तरीय ऐसी संरचना है, जो एक युद्ध नशे के विरूद्ध के ध्येयवाक्य को धरातल पर पहुंचाने हेतु केंद्र, राज्य सरकारों के उन समस्त विभागों में समग्र तालमेल स्थापित करने के लिए रची गयी, जो ड्रग्स विधियों के पालन, आम जन तक उनके प्रसारण तथा इन समेकित नियम कानूनी प्रावधानों तथा ड्रग्स से उपजी विभीषिकाओं के बारे में जन जागरण अभियान में अपनी महती भूमिका निर्वहन करते हों। भारत सरकार के एक युद्ध नशे के विरूद्ध को जमीनी हकीकत में मूर्त रूप देने हेतु जिला स्तरीय NCORD समिति की बैठक कलेक्टर श्री शिवम वर्मा की अध्यक्षता में विगत 31 जनवरी 2026 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा विभिन्न विभागों को दिये गये निर्देशों के पालन में आबकारी विभाग, आयुष विभाग, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों एवं इंदौर जिले के विभिन्न ड्रग्स औषधि निर्माता, आयातक, वितरक एवं उक्त ड्रग्स औषधियों के उपयोग से रोगियों का निदान करने वाले अस्पताल प्रबंधन को आहूत किया गया। कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा बैठक में इंदौर जिले में ड्रग्स पर पूर्ण नियंत्रण हेतु टीम का गठन भी किया गया है, जो इस क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य करने हेतु निर्देशित की गयी है। समस्त आबकारी कार्यपालिक अधिकारियों को भी ड्रग्स व्यवसाय से संबंधित इकाईयों के गहन निरीक्षण हेतु आदेशित किया गया है। युवा वर्ग में ड्रग्स की बुराई अपने पैर न पसार सके इस हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यशालाएँ भी आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

करोड़पति बनने के चक्कर में नशा बेचने लगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पुलिस ने पकड़ा

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने मंगलवार को शहर के प्रतिष्ठित एसजीएसआईटीएस कॉलेज के पास घेराबंदी करते हुए दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़े गए युवकों के पास से भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया है।

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने इस पूरी कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि विभाग को लगातार शहर में मादक पदार्थों की सप्लाई की खबरें मिल रही थीं। इसी दौरान मुखबिर के माध्यम से पुख्ता सूचना प्राप्त हुई कि कॉलेज परिसर के पास दो संदिग्ध युवक नशे की खेप पहुंचाने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई और एसजीएसआईटीएस कॉलेज के पास स्थित सार्वजनिक शौचालय के समीप जाल बिछाया गया। जब क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची तो वहां दो युवक खड़े दिखाई दिए। पुलिस को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपियों ने वहां से भागने का प्रयास किया। हालांकि सतर्क पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए उन्हें भागने का मौका नहीं दिया और दोनों को हिरासत में ले लिया। जब उनकी व्यक्तिगत तलाशी ली गई तो उनके पास से कुल 10.46 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस जब्त की गई ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत करीब 1 लाख 10 हजार रुपए आंकी जा रही है।

महाशिवरात्रि पर उज्जैन- भोपाल के बीच तीन जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। महाशिवरात्रि के अवसर पर उज्जैन एवं सीहोर क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संभावित अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने उज्जैन-भोपाल के मध्य तीन जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और भीड़ प्रबंधन में भी सहूलियत होगी।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री मुकेश कुमार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 09305 उज्जैन-संत हिरदाराम नगर मेला स्पेशल 13 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन उज्जैन से सुबह 9.00 बजे प्रस्थान कर दोपहर 1.30 बजे संत हिरदाराम नगर पहुँचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 09306 संत हिरदाराम नगर-उज्जैन मेला स्पेशल प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर शाम 7.30 बजे उज्जैन पहुँचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में तराना रोड, मक्सी, बेरछा, कालीसिंध, अकोदिया, शुजालपुर, कालापीपल एवं सीहोर स्टेशनों पर रुकेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09307 उज्जैन-भोपाल मेला स्पेशल 13 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन रात 9.00 बजे उज्जैन से प्रस्थान कर अगले दिन तड़के 2.10 बजे भोपाल पहुँचेगी।

गाड़ी संख्या 09308 भोपाल-उज्जैन मेला स्पेशल 14 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन सुबह 3.10 बजे भोपाल से चलकर सुबह 8.00 बजे उज्जैन पहुँचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में तराना रोड, मक्सी, बेरछा, कालीसिंध, अकोदिया, शुजालपुर, कालापीपल, सीहोर एवं संत हिरदाराम नगर स्टेशनों पर ठहरेगी।

तीसरी जोड़ी में गाड़ी संख्या 09313 उज्जैन-संत हिरदाराम नगर मेला स्पेशल 13 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन शाम 4.00 बजे उज्जैन से प्रस्थान कर रात 9.40 बजे संत हिरदाराम नगर पहुँचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 09314 संत हिरदाराम नगर-उज्जैन मेला स्पेशल प्रतिदिन रात 10.30 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 2.00 बजे उज्जैन पहुँचेगी। यह ट्रेन भी दोनों दिशाओं में तराना रोड, मक्सी, बेरछा, कालीसिंध, अकोदिया, शुजालपुर, कालापीपल एवं सीहोर स्टेशनों पर रुकेगी।

इन मेला स्पेशल ट्रेनों में सामान्य एवं स्लीपर श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे ट्रेनों के ठहराव, आगमन एवं प्रस्थान समय सहित अन्य अद्यतन जानकारियों के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी प्राप्त करें।

विभागीय जांच में शिकायतकर्ता को अंतिम अवसर, 25 फरवरी को उपस्थित होने के निर्देश

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा श्री पराग जैन, राप्रसे, तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मल्हारगंज, जिला इन्दौर, वर्तमान में जिला नीमच के संबंध में प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण में शिकायतकर्ता ग्राम छोटा बांगड़दा निवासी श्री गणेश प्रसाद शुक्ला को साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के निर्देश जारी किये गये हैं। जारी सूचना के अनुसार शिकायतकर्ता को पूर्व में कई बार सूचना-पत्र प्रेषित किये जाने के बावजूद अब तक उपस्थित नहीं होने के कारण अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। निर्देशानुसार श्री शुक्ला को 25 फरवरी 2026, बुधवार को प्रातः 11ः30 बजे जांच अधिकारी के समक्ष आयुक्त कार्यालय, इन्दौर संभाग, मोती बंगला परिसर (गांधी हाल), इन्दौर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

भारत आज विश्व का बड़ा मछली निर्यात करने वाला देश है

राज्यसभा में सांसद बंशीलाल गुर्जर ने कहा- 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का है बजट

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। गुरूवार को राज्यसभा में केन्द्रीय बजट पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर ने भी संबोधित किया और कहा कि यह बजट देश के 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं का बजट है यह भारत को एक भविष्य का सशक्त भारत बनाने वाला बजट है। बजट किसान, गरीब, युवा एवं महिलाओं को सशक्त बनाने वाला बजट है। भारत एक कृषि प्रधान देश है इसकी आबादी का लगभग 60त्न हिस्सा कृषि पर निर्भर है। किसान सशक्त होंगे तो देश सशक्त होगा। भारत आज विश्व का बड़ा मछली निर्यात करने वाला देश है। मत्स्य पालन को भी भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है। मछुआरों की समस्याओं के समाधान के लिए तटीय क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ करने का प्रावधान है। इससे मछुआरों को पूरी कीमत दिलाने की व्यवस्था होगी। मछली पालन को और सशक्त व सुगम बनाने के लिए 500 जलाशयों व अमृत सरोवर का एकीकृत विकास करने का प्रावधान बजट में किया गया है यह कदम जल संरक्षण ग्रामीण रोजगार एवं पोषण सुरक्षा, तीनों लक्ष्यों को एक साथ साधता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली तब से किसानों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया यह संकल्प मोदी की सरकार की पहलों में दिखता है। इस वर्ष के बजट में कृषि को प्राथमिकता देते हुए गत वर्ष 2025 26 से 12472.08 करोड़ ज्यादा बजट प्रदान किया है वर्ष 2025 26 में 220089.30 करोड़ के स्थान पर इस वर्ष 232561.38 करोड़ (दो लाख बत्तीस हजार पांच सौ इकसठ करोड़ अड़तीश लाख) का प्रावधान किया है जो वर्ष 2013-14 के 27000 करोड़ के मुकाबले 8.6 गुना से ज्यादा बजट है इससे भारत के किसान और सशक्त होंगे। उच्च मूल्य वाली खेती को बढ़ावा देते हुए नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी फसलों के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है, साथ ही वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, सहकारी संस्थाओं को पशुचारे और बिनौले की आपूर्ति पर कर कटौती का लाभ देकर कृषि क्षेत्र को मजबूती दी गई है। कृषि के साथ अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने वाला बजट किसानों के लिए किसानों की आय में वृद्धि करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए यह बजट अत्यंत सकारात्मक है। भारतविस्तार नामक बहुभाषीय ए.आई. टूल के माध्यम से कृषि प्रणालियों को तकनीक से जोड़ा जाएगा।

मध्यम वर्ग को बजट से मिली बड़ी राहत - स्वास्थ्य के खर्च को कम करने के लिए सरकार ने दवाओं पर लगने वाले शुल्क में कटौती की है। कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क शून्य या बहुत कम कर दिया गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बायोफार्मा शक्ति के तहत 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन और तीन नए एन.आई.पी.ई.आर. संस्थानों का निर्माण भारत को वैश्विक बायोफार्मा केंद्र बनाएगा।

जिला अधिकारी, कर्मचारी कल्याण के प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें- श्री कलेश

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सभी विभागों के जिला अधिकारी, कर्मचारी कल्याण से संबंधी प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करें। पेंशन प्रकरण, समयमान, वेतनमान, डी.ए.एरियर सहित अन्य स्वत्वों का भुगतान सभी शासकीय सेवकों को तत्परतापूर्वक समय-सीमा में करें। यह निर्देश अपर कलेक्टर श्री बी.एस.कलेश ने गुरूवार को कलेक्टोरट सभाकक्ष नीमच में आयोजित जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति की बैठक में दिए। बैठक में जिला अधिकारी एवं विभिन्न कर्मचारी, संगठनों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कर्मचारी संगठनों ने निर्वाचन ड्यूटी में कार्यरत रहे शासकीय सेवकों को निर्वाचन कार्य का ड्यूटी प्रमाणीकरण पत्र जारी करने का सुझाव दिया। शिक्षकों के लंबित समयमान, वेतनमान, डी.ए.एरियर के आदेश जारी कर भुगतान का सुझाव भी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने दिया। बैठक में म.प्र.शिक्षक कांग्रेस, म.प्र.राज्य कर्मचारी संघ, म.प्र.तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, पटवारी संघ, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के जिला पदाधिकारियों ने भी अपने संगठन की ओर से कर्मचारियों की विभिन्न मांगों से संबंधित मांग पत्र प्रस्तुत किए। जिस पर कार्यवाही का विश्वास एडीएम ने दिलाया। जिला शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि शिक्षकगणों के पात्रतानुसार क्रमोन्नति एवं समयमान, वेतनमान आदेश जारी कर दिए गऐ है।

जिला प्रशासन द्वारा पिंक ड्रायविंग लायसेंस के साथ ही हेलमेट उपलब्ध कराने की अभिनव पहल

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला प्रशासन नीमच द्वारा कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में संकल्प से समाधान अभियान के तहत छात्राओं, महिलाओं को निःशुल्क ड्रायविंग लायसेंस जारी करने और उन्हें निःशुल्क हेलमेट प्रदान करने की अभिनव पहल प्रारंभ की गई है। इसके तहत ड्रायविंग लायसेंस के लिए 260 महिलाओं ने अपना निःशुल्क पंजीयन करवाया है। विधायक श्री दिलीप सिह परिहार एवं कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की उपस्थिति में गुरूवार को जिला पंचायत नीमच में आयोजित विशेष शिविर में विधायक श्री परिहार एवं कलेक्टर श्री चंद्रा ने 100 बालिकाओं एवं महिलाओं को नवीन ड्रायविंग लायसेंस की प्रति के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए। संकल्प से समाधान अभियान के तहत निःशुल्क हेलमेट एवं ड्रायविंग लायसेंस पाकर बालिकाएं काफी खुश नजर आ रही थी। शिविर में लाभांवित वैदिका ने कहा, कि जिला प्रशासन ने लायसेंस के साथ ही उन्हें हेलमेट प्रदान कर बेटियों की सुविधा के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा है।

विधायक श्री परिहार ने अपने उदबोधन में दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की भी बालिकाओं को समझाईश दी। उन्होने कहा, कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। बेटियों की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार निभा रही है।

कलेक्टर श्री चंद्रा ने वाहन का सकारात्मक उपयोग पढ़ाई के कार्य में करने पर जोर देते हुए कहा, कि लायसेंस प्राप्त होने के बावजूद वाहन का उपयोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए करें। हेलमेट का उपयोग अवश्य करें और अन्य लोगो को भी इसके लिए प्रेरित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी सुश्री अंकिता पंड्या ने कहा, कि 260 बालिकाओं, महिलाओं द्वारा पिंक ड्रायविंग लायसेंस के लिए पंजीयन करवाया है। इसमें से नीमच में 100 बालिकाओं को हेलमेट एवं लायसेंस प्रदान किये जा रहे है। अगले चरण में जावद व मनासा में भी पिंक ड्रायविंग लायसेंस एवं हेलमेट वितरण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएगें। इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ श्री अमन वैष्णव, एसडीएम श्री संजीव साहू, सहायक संचालक श्री वैभव बैरागी, सीडीपीओ श्री इरफान अंसारी सहित अन्य अधिकारी एवं बालिकाएं तथा महिलाएं उपस्थित थी।

मंदसौर जिले के निर्यात विश्लेषण एवं निर्यातित वस्तुओं की समीक्षा की गई

जिले में निर्यात बढ़ाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक संपन्न

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक सुशासन भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रायकवार, डीजीएफटी के अधिकारी, उद्योगपति एवं निर्यातक उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान डीजीएफटी अधिकारियों द्वारा निर्यात से संबंधित पंजीयन, लाइसेंस, निर्यात योग्य देशों की जानकारी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं अन्य प्रक्रियाओं पर विस्तृत जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई। बताया गया कि फॉरेन ट्रेड से संबंधित अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन संचालित होती हैं। इंडिया ट्रेड कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से बायर्स एवं सेलर्स की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निर्यातकों को उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं, एमएसएमई सपोर्ट स्कीम, गवर्नमेंट प्रमोशन स्कीम एवं ई-कॉमर्स गाइडबुक की जानकारी भी प्रदान की गई। अधिकारियों ने बताया कि डीजीएफटी की वेबसाइट पर ई-कॉमर्स से संबंधित विस्तृत पुस्तक उपलब्ध है, जहां निर्यात संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कलेक्टर श्रीमती गर्ग ने कहा कि बैठक का उद्देश्य जिले में निर्यात के प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहन बढ़ाना है। उन्होंने उद्योग विभाग को निर्देश दिए कि जिले के सभी निर्यातकों का एक व्हाट्सएप समूह बनाया जाए, जिससे सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्यातकों को हर प्रकार की सुविधा एवं सहयोग प्रदान किया जाएगा। उद्योग विभाग को डीजीएफटी के साथ समन्वय कर निर्यात प्रोत्साहन हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान एवं व्यापारी निर्यात गतिविधियों से जुड़ सकें।

बैठक में एमएसएमई विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय एवं नाबार्ड द्वारा संचालित निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिले की निर्यात इकाइयों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक जिले के निर्यात विश्लेषण एवं निर्यातित वस्तुओं की समीक्षा की गई।

एमएसएमई विकास नीति 2025 में निर्यात प्रोत्साहन हेतु प्रमुख प्रावधान - नई औद्योगिक इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन मद में पात्र निवेश का 40त्न उद्योग विकास अनुदान के रूप में चार समान वार्षिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा। महिला उद्यमियों को प्रतिवर्ष 2त्न अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। कुल वार्षिक विक्रय का 25% से अधिक एवं अधिकतम 50त्न तक निर्यात करने वाली इकाइयों को चार वर्षों तक 2त्न अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय निर्यात हेतु आवश्यक विशिष्ट गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किए गए व्यय का 50त्न (अधिकतम ?50 लाख) प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा।

निर्यातक इकाइयों को औद्योगिक परिसर से गेटवे पोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सुविधा तक उत्पाद भेजने हेतु अंतर्देशीय परिवहन व्यय का 50त्न (अधिकतम 40 लाख प्रति वर्ष) पांच वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।

संकल्प से समाधान अभियान, जावद में आज दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश एवं जिले में संकल्प से समाधान आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज 13 फरवरी से 6 मार्च तक जिले में 9 स्थानों पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

संकल्प से समाधान अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, जनजातिय कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आयुष, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इन शिविरों में दिव्यांगजनों की शीघ्र पहचान कर, उनके तत्काल दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। शा.चिकित्सालय जावद में आज 13 फरवरी को जनपद क्षेत्र जावद, नगर परिषद जावद, सरवानिया महाराज, अठाना एवं नयागाव के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है।

संकल्प से समाधान अभियान के तहत 16 फरवरी को जनपद क्षेत्र नीमच के लिए रेडक्रास भवन नीमच में, 18 फरवरी को शा.चिकित्सालय रतनगढ, 20 फरवरी को शा.चिकित्सालय सिंगोली, 23 फरवरी को रेडक्रास भवन नीमच, 25 फरवरी को शा.चिकित्सालय जीरन, 27 फरवरी को शा.चिकित्सालय रामपुरा, 5 मार्च को शा.चिकित्सालय कुकडेश्वर एवं 6 मार्च को शा.चिकित्सालय मनासा में दिव्यंगता प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किए जा रहे है। यह शिविर प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होंगे। शिविर के सफल आयोजन के लिए संबंधित जनपद सीईओ एवं सीएमओ क्रमशः नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए है।

उप संचालक सामाजिक न्याय श्री पराग जैन ने अधिकाधिक ऐसे दिव्यांगजन जिनका अभी तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बना है, वे शिविर में उपस्थित होकर अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा सकते है।

अब 24 घंटे मिलेगा पानी: गांधी सागर-2 योजना में सामूदायिक अंशदान का शुभारंभ

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश जल निगम नीमच की सहायक संस्था कैप द्वारा गांधी सागर-2 समूह पेयजल योजना अंतर्गत विकासखंड मानसा की ग्राम पंचायत डायली के ग्राम मोखमपुरा में अंशदान राशि जमा करने का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम दिनेश चंद उपाध्याय, प्रबंधक जनसहभागिता, पीआईयू नीमच के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।

इस अवसर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण व ग्रामीणजन मौजूद रहे। प्रबंधक जनसहभागिता ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सभी लोग पेयजल का संरक्षण करें, पानी व्यर्थ न बहाएं और योजना के रखरखाव में सहयोग दें, तो गांव में 24 घंटे पेयजल आपूर्ति संभव है। इस पर ग्रामीणों ने सहमति जताई और अंशदान राशि भी एकत्र की गई।

कैप प्रबंधक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना रसीद किसी को भी राशि न दें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। ग्राम मोखमपुरा में पाइपलाइन लीकेज की समस्या को लेकर ग्राम भ्रमण किया गया तथा डीबीएल से आए अभियंता को 3-4 दिनों में लीकेज सुधारकर नीले पड़े पाइपों को स्टैंडपोस्ट में फिक्स कर नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

वहीं आनंदीपुरा और खेतपालिया में हैंडपंप व कुओं के पानी की स्वच्छ्य से जांच में हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई गई।जल मिशन के इस प्रयास से ग्रामीणों को अब सुरक्षित और नियमित 24 घंटे पेयजल मिलने की उम्मीद जगी है।

पशुपतिनाथ लोक को प्लास्टिक मुक्त करने लिया सामूहिक निर्णय

महाशिवरात्रि पर्व हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूर्ण करने के निर्देश, बैठक संपन्न

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पशुपतिनाथ प्रबंध समिति की बैठक मंदिर सभागृह में आयोजित की गई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, मंदसौर विधायक विपिन जैन, नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर सहित संबंधित अधिकारी एवं प्रबंध समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि भगवान श्री पशुपतिनाथ की प्रतिमा पर वज्र लेपन के पश्चात सभी भक्तजन एवं अभिषेककर्ता जल आदि जलपात्र के माध्यम से भगवान को अर्पित कर सकेंगे। आगामी महाशिवरात्रि पर्व के आयोजन, आरती मंडल की व्यवस्थाओं तथा भक्तजनों के लिए प्रसादी वितरण की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी संबंधित विभागों को पर्व के सफल आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियाँ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में मंदिर के तीन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उपरांत श्रम कानून के अनुसार ग्रेच्युटी राशि के भुगतान का निर्णय लिया गया। साथ ही मंदिर कर्मचारियों को राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान करने तथा स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। मंदिर परिसर में साफ-सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु सफाई मशीन क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 10 मेटी रोल क्रय करने की अनुमति दी गई। श्री पशुपतिनाथ लोक को प्लास्टिक मुक्त करने का सामूहिक निर्णय लिया गया। लोक परिसर में दुकानों के सुव्यवस्थित संचालन तथा धार्मिक सामग्री को प्राथमिकता से रखने के निर्देश दिए गए। तापेश्वर महादेव मंदिर में मार्बल बदलने के निर्देश दिए गए तथा इसके लिए निर्माण एजेंसी नियुक्त करने पर सहमति बनी।

नीमच में निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर सम्पन्न - 144 ने स्वास्थ्य लाभ लिया

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आयुष विभाग नीमच द्वारा वरिष्ठजनों के लिए निशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर गुरूवार को आयुष विंग एवं पंचकर्म थेरेपी सेंटर नीमच में आयोजित किया गया। शिविर में रोगियों की निशुल्क बीपी एवं शुगर की जांच कर आवश्यक परामर्श के साथ निशुल्क औषधियां वितरित की गई। शिविर का 144 रोगियों ने लाभ लिया। शिविर में डॉ.पंकज कुमार पाटीदार, डॉ.विवेक शर्मा, डॉ.संध्या दाहमा, डॉ.दीपिका पाटीदार, डॉ.निकिता बघेल, डॉ.राहुल जायसवाल, श्री हरीश दास बैरागी, श्रीमती माया घारू एवं श्रीमती भावना बैरागी आदि ने सेवाएं दी।

सभी तहसीलदार टोटल स्टेशन मशीन से समक्ष में सीमांकन करवाकर प्रकरण निराकृत करें- श्री चंद्रा

सभी तहसीलदार एक माह में तीन-तीन हजार फार्मर रजिस्ट्री करवाएं

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले के सभी राजस्व अधिकारी टोटल स्टेशन मशीन से अपने समक्ष सीमांकन का कार्य करवाकर, सीमांकन के सभी प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करें। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाकर एक माह में सभी तहसीलदार तीन-तीन हजार किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करवाएं। प्रत्येक पटवारी कम से कम 100 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री करें।

यह निर्देश कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा ने गुरूवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक में राजस्व विभाग की विभागीय समीक्षा करते हुए दिए। बैठक में एडीएम श्री बी.एस.कलेश, तीनो एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर एवं सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग से संबंधित सीएम हेल्पलाईन में दर्ज शिकायतों का तत्परतापूर्वक निराकरण करवाकर रैंक सुधारने के निर्देश सभी तहसीलदार को दिए। कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि सभी तहसीलदार सीएम हेल्पलाईन में ए ग्रेड हासिल करें। उन्होने नक्शाविहिन गांवों के नक्शा निर्माण की प्रगति की समीक्षा में नक्शा निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया, कि वे अपने क्षेत्र का स्वयं भ्रमण कर नये डायवर्सन प्रकरण दर्ज करें और डायवर्सन मद में राजस्व वसूली को प्राथमिकता से बढाए। आर.ओ.आर.ई.केवायसी कार्य की तहसीलवार प्रगति की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए, कि सभी तहसीलदार एक माह में तीन-तीन हजार आर.ओ.आर. ईकेवायसी का कार्य पूर्ण करवाएं। साथ ही सभी पटवारी न्यूनतम 100-100 आर.ओ.आर. ईकेवायसी करवाएं। उक्त लक्ष्य पूर्ण नहीं करने वाले पटवारियों, अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए।

बैठक में नक्शा तरमीम, शासकीय सर्वे नम्बरों का नक्शा तरमीम बंटाकन, भू-राजस्व मदों में वसूली की प्रगति, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों के निराकरण, आर.सी.एस.एम.में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई।

अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध नीमच पुलिस का अभियान

आरोपी गिरफ्तार, पुलिस थाना रतनगढ़ की सफलतम कार्यवाही

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला पुलिस अधीक्षक श्री अंकित कुमार जायसवाल के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसौदिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद

रोहित राठौर के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी रतनगढ़ निरीक्षक मनोज सिंह जादौन के नेतृत्व में रतनगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना उपरांत ड्रोन सर्चिंग उपरांत कार्यवाही करते हुए लुहारिया जाट में कपास की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती का खुलासा कर 9.76 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ अफीम के छोटे बडे 11600 नग हरे पोधे जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

अपराध समीक्षा बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय नीमच द्वारा जिलें के सभी थाना प्रभारियों को थाना क्षेत्रों में अफीम, गांजा आदि मादक पदार्थो की अवैध खेती हेतु मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने एवं ड्रोन के माध्यम से सर्चिंग अभियान चलाया जाकर कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये थें।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 11.02.2026 को पुलिस चौकी जाट पर मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना की पुष्टी हेतु ड्रोन के माध्यम से सर्चिंग उपरांत ग्राम लौहारिया जाट में आरोपी हिरालाल पिता घिसालाल माली उम्र 43 साल निवासी ग्राम लौहारिया जाट पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.) के कब्जे वाले खेत पर कपास के पौधो की खेती के बीच में अवैध मादक पदार्थ अफीम की खेती की हुई पाई गई, जिनका मौके पर विधिवत तौल करते कुल वजनी 09 क्विंटल 76 किलोग्राम अफीम के अवैध हरे पौधे (कुल 11,600 नग) होना पाये गये, जिन्हे बरामद किया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद अफीम के हरे गिले पौधे को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अग्रीम जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपी - हिरालाल पिता घिसालाल माली उम्र 43 साल निवासी ग्राम लौहारिया जाट पुलिस थाना रतनगढ जिला नीमच (म.प्र.)

जप्त मादक पदार्थ - अफीम के 11600 नग हरे गिले पौधे कुल वजनी 09 क्विंटल 76 किलोग्राम किमती करीबन 97 लाख 60 हजार रुपयें

सराहनीय कार्यवाही - उक्त सराहनीय कार्यवाही में थाना प्रभारी रतनगढ़ निरीक्षक मनोज सिंह जादौन एवं उनकी टीम का विशेष सराहनीय योगदान रहा।

रासायनिक खेती छोड़ प्राकृतिक अपनाकर प्राप्त किया तीन गुना मुनाफा- चंद्रभानू चौधरी

सिंगोली/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले रतलाम जिले के ग्राम धामनोद निवासी किसान चंद्रभानू चौधरी ने बताया कि पहले उन्होंने कुछ समय तक रसायन आधारित खेती की, लेकिन इससे कीट-पतंगों एवं रोगो की समस्या बढ़ी, फसलें खराब होने लगीं और लगातार केमिकल डालने के बावजूद भी सुधार नहीं हो पा रहा था। इससे उत्पादन घटने के साथ-साथ लागत लगातार बढ़ती चली गई। थक-हार कर उन्होंने पुनः अपनी पारंपरिक प्राकृतिक खेती को अपनाया। इस दौरान कृषि विभाग एवं आत्मा विभाग से उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन मिला।

विभागीय अधिकारियों द्वारा खेत पर आकर नियमित निरीक्षण और परामर्श दिया गया, जिससे प्राकृतिक खेती को वैज्ञानिक तरीके से अपनाने में मदद मिली।

किसान चंद्रभानू चौधरी ने बताया कि प्राकृतिक खेती अपनाने से केमिकल एवं फर्टिलाइजर पर होने वाला पूरा खर्च बच गया। पहले सभी खर्च काटने के बाद लगभग 5 लाख रुपए वार्षिक बचत होती थी, जबकि अब लगभग 15 से 20 लाख रुपए तक वार्षिक शुद्ध लाभ हो रहा है।

सम्पादकीय

आतंकवाद की नई परिभाषा सफेद पोश आतंकवाद

उग्रवाद, आतंकवाद और अतिवाद हमेशा से अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बने हुए हैंद्य व्हाइट-कॉलर क्राइम÷ शब्द का प्रयोग कथित तौर पर 1939 में हुआ था और तब से यह व्यापार और सरकारी पेशेवरों द्वारा किए गए सभी प्रकार के धोखाधड़ी के मामलों का पर्याय बन गया है। इसराइल, हमास ,फिलिस्तीन युद्ध में हमास के लड़ाकुओं ने उच्च टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल द्वारा इजरायल की आंखों में धूल झोंक कर 8 अक्टूबर को इसराइल के शहर अस्क लोन में लगभग 5000 रॉकेट से हमला किया और अपने आतंकवादी लोगों को हवाई रास्ते से इजराइल में उतार कर लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया । हमला बड़ा दर्दनाक था ,इसे टेक्नोलॉजी के सारे गुप्त रखा गया था इसराइल को इसकी भनक तक न थी । वर्तमान समय में तकनीकी के सहारे मानवता का नरसंहार करने वाली बहुत विकराल घटना है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी ज्यादा समय से युद्ध किया जा रहा है जो निसंदेह मानवता के लिए और विश्व शांति के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है ।पहले यह आतंकवादी हाथों में बंदूक, ग्रेनेटो, रॉकेट लांचर लेकर विभिन्न देशों में तोड़फोड़ आगजनी और हत्या की घटनाएं किया करते थेद्य अब समय के परिवर्तन के साथ साथ आतंकवाद में अब इंटरनेट, मीडिया, सोशल मीडिया ने अपने पैर फैलाना शुरू किए हैंद्य आतंकवाद के नेटवर्क के लिए इंटरनेट तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का आसानी से उपयोग करने लगे हैंद्य अमेरिका में जो ट्विन टावर और पेंटागन में हमले हुए थे, उसमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लक्ष्य भेदी विमानों को को भेजा गया था और एक बड़ी विध्वंसकारी घटना को अंजाम दिया गया था। समय और तकनीकी शिक्षा के बढ़ने के साथ-साथ अब उग्रवादी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर बड़े इंजीनियर तथा सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस मैदान में आतंकवादियों के साथ टूट पड़े हैं। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स बड़े ही खतरनाक ढंग से सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल कर जनता को दिग्भ्रमित कर झूठी अफवाहें फैलाकर कई देशों के सूचना तंत्र में सेंध लगाकर वहां की सूचनाएं प्राप्त कर अपने उग्रवादी साथियों को भेज कर खुफिया सूचनाएं भेजते हैं। आतंकवादी गतिविधियों के लिए यह सूचनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और देशों की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा भी होती हैं। भारत के परिपेक्ष में भारत में बाहर के टेक्निकल शिक्षा प्राप्त किए आतंकवादी जिन्हे व्हाइट कॉलर आतंकवादी भी कहा जाता है। खुफिया तंत्र के हिसाब से यह तकनीकी स्लीपर सेल्स शांति के लिए अन्य आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि इनकी पहचान नहीं हो पाती है। ये छुपे हुए होते हैं। इनका पता लगाना अन्य आतंकवादियों से ज्यादा कठिन होता है और केवल तकनीकी जानकारी के आधार पर ही संभव हो पाता है। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स इसलिए भी ज्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि यह दूर ठिकानों में बैठकर मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट के जरिए युवाओं को उकसा कर, भड़का कर सांप्रदायिक दंगे कराने में सफल हो जाते हैं। या सोशल मीडिया में झूठी तथा गलत खबरों के जरिए युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं। निसंदेह ये अज्ञात होते हैं। लेकिन समूची युवा पीढ़ी को मानसिक रूप से प्रभावित कर उनके विकास की दिशा बदल सकते हैं। ऐसे में सारी खुफिया एजेंसियां हाथ पर हाथ धरे बैठ रह जाती हैं। भारत के परिपेक्ष्य में जम्मू कश्मीर, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यह अपनी तकनीकी ज्ञान के चलते सोशल मीडिया में नाम बदलकर, रूप बदलकर, युवाओं को आम जनता को गलत जानकारी देकर दिग्भ्रमित करते रहते हैं, एवं दंगे भड़काने का काम भी करते हैं। मूलतः ये टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स सफेदपोश होते हैं। एवं आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। ऐसे में इनका पता लगाना इन्हें खोजना अत्यंत कठिन हो जाता है। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स देश के सामरिक महत्व की जानकारी अपने उग्रवादी संगठनों को प्रदान करते हैं। इन जानकारियों का आतंकवादी संगठन उग्रवाद के लिए बेहद खतरनाक ढंग से किसी भी देश के खिलाफ कर सकते हैं। भारतीय संदर्भ में यदि जम्मू कश्मीर को लिया जाए तो अब वहां आतंकवादियों ने अपना युद्ध का तरीका बदल दिया है। युद्ध का मैदान नया है, जहां पारंपरिक अथवा हथियारों, सकरी गलियों और जंगली युद्ध के मैदानों के स्थान पर कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और स्मार्टफोन ने ले लिया है। जिसके फलस्वरूप यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल अपने अपने घरों में बैठकर सड़कों, मैदानों तथा जंगल में युद्ध छेड़ सकते हैं। अपने सूचना तंत्र तथा तकनीकी ज्ञान तथा उपकरणों के दम पर युवाओं तथा आम जनता के मध्य झूठी खबर फैलाकर आतंकवादियों एवं अलगाववादियों संगठनों की मंशा के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर परिस्थितियां तैयार कर युवाओं को देश के खिलाफ भड़का कर असामाजिक स्थिति पैदा कर देते हैं।

यह सफेदपोश आतंकवादी अधिकारी, नेताओं, व्यवसायियों की गुप्त सूचना प्राप्त कर उन उनको ब्लैकमेल कर धन राशि तथा सूचना एकत्र कर आतंकवादियों की मदद करते हैं। यह टेक्नोक्रेट स्लीपर सेल्स तब और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, जब देश की संवेदनशील सामरिक सूचनाएं आतंकवादियों तथा दुश्मन देश को अपने तकनीकी ज्ञान के दम पर हैक करके भेजना शुरू कर देते हैं। जिससे देश की सुरक्षा संबंधी सब गुप्त सूचनाएं एवं नवीनतम रणनीति, दुश्मनों के समक्ष उजागर हो जाती है।

सूक्ष्म चक्रों, नाड़ी तंत्र व कुंडलिनी शक्ति का विज्ञान है सहजयोग

परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने सहजयोग में मानव शरीर की संरचना की अत्यंत सूक्ष्म व्याख्या की है इस व्याख्या को आत्मसात कर हम अपने उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सामान्यतः हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि मानव शरीर पंचमहाभूतों (भूमि, आकाश, वायु, अग्नि व जल) से मिलकर बना है। सनातन काल से हमारे मनुऋषियों ने मानव शरीर में स्थित नाड़ियों (ईड़ा, पिंगला व सुषुम्ना) व चक्रों (मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा व सहस्त्रार) की व्याख्या भी की है तथा आधुनिक चिकित्सा शास्त्र ने भी हमारे तंत्रिका तंत्र की व्याख्या की है, परंतु सामान्य मनुष्य के लिए इन चक्रों, नाड़ीतंत्रों अथवा तंत्रिका तंत्रों के ज्ञान - विज्ञान को समझना इनमें सामंजस्य स्थापित करना सदैव ही अत्यंत कठिन कार्य रहा है। अतः सामान्य मनुष्य कभी भी इस भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान से स्वयं को जोड़ नहीं सका?। परंतु वर्तमान समय में श्री माताजी निर्मला देवी जी ने इस जटिलता को सर्वसाधारण के लिए अत्यंत सुगम बना दिया है। श्री माता जी के सानिध्य में जब हम कुंडलिनी जागरण द्वारा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं तथा नियमित ध्यान धारणा द्वारा अपना उत्थान करते हैं तब हम सहज ही परम पिता की चैतन्यता, सूक्ष्मता, पवित्रता व स्वचालित दैवीयशक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा से एकाकार हो पाते हैं। श्री माताजी के अनुसार, मानव शरीर में तीन प्रकार के नाड़ी तंत्र होते हैं पहला मध्य नाड़ी तंत्र (सेंट्रल नर्वस सिस्टम) दूसरा अनुकम्पी नाड़ी तंत्र (सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम) जिसका बायां व दांया भाग है, तीसरा पराअनुकम्पी नाड़ी तंत्र (पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम)। श्री माताजी ने अपनी अमृतवाणी में उपदेशित किया है कि, हमारे सारे चक्र जिन पीठों से संचालित होते हैं वह पीठ हमारे मस्तिष्क में स्थित है और हमारे मस्तिष्क से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इन चक्रों का चलन वलन हो सकता है लेकिन होता नहीं है। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से ही हम इन चक्रों को संचालित करते हैं। सत्य हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही जाना जा सकता है यही ज्ञान हमारी उत्क्रांति का लक्षण है बाकी सब दिमागी जमा खर्च है। हमारे जीवन में चक्रों, नाड़ियों व वाइब्रेशंस का सामंजस्य तभी रहता है जब हम नियमित ध्यान साधना करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे संगीत अथवा कला में नित्य साधना से ही आप उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। अतः ईश्वर भक्ति व आराधना भी सुख हो या दुख हर परिस्थिति में चलते रहना चाहिए।

पाखंड की ओट में छुपा दानः क्या यह सच में पुण्य है?

मनुष्य की आत्मा जब अपने कर्मों का निष्पक्ष लेखा-जोखा करती है, तब सबसे पहले यह प्रश्न उसके अंतर्मन में गूँजता है—क्या धन की पवित्रता से बड़ा कोई नैतिक मूल्य हो सकता है? आज के युग में, जब अनेक लोग छल, कपट और अनैतिक तरीकों से अर्जित धन को धार्मिक कार्यों में लगाकर स्वयं को धर्मात्मा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तब इस प्रवृत्ति की गंभीर समीक्षा अनिवार्य हो जाती है। यह विषय केवल दान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह चरित्र, विवेक और सामाजिक उत्तरदायित्व की कसौटी है। भव्य मंदिर, विशाल दानशालाएँ और चमकदार आयोजन हमारी आँखों को चकाचौंध कर सकते हैं, किंतु उनके पीछे छिपा अन्याय प्रायः दृष्टि से ओझल रह जाता है। यही भ्रम धीरे-धीरे हमारी चेतना को शिथिल करता है और हमें नैतिक पतन की खाई की ओर धकेल देता है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गलत कमाई को अच्छे कार्यों में लगा रहा है, तो कम से कम वह समाज का हित तो कर ही रहा है। परंतु यह सोच न केवल सतही है, बल्कि अत्यंत भ्रामक भी है। जिस धन की नींव शोषण, धोखा और भ्रष्टाचार पर रखी गई हो, वह कभी भी सच्चे कल्याण का माध्यम नहीं बन सकता। ऐसा धन पीड़ितों की आहों, आँसुओं और असहनीय पीड़ा से जुड़ा होता है। जब उसी धन से दान किया जाता है, तब वह सहायता नहीं, बल्कि अन्याय का एक नया रूप बन जाता है—अन्याय का पुनर्वितरण। समाज को यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि सच्ची भलाई का मार्ग केवल शुद्ध और न्यायपूर्ण साधनों से होकर ही गुजरता है।

भारतीय दर्शन सदैव साधन और साध्य—दोनों की शुद्धता पर बल देता आया है। उपनिषद, गीता और स्मृतियाँ एक स्वर में यह उद्घोष करती हैं कि अधर्म से अर्जित धन कभी भी पुण्य का स्रोत नहीं बन सकता। श्रीमद्भगवद्गीता में सात्त्विक, राजस और तामस दान का विवेचन करते हुए शुद्ध भावना और ईमानदार कमाई को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मनुस्मृति भी यही प्रतिपादित करती है कि अन्यायपूर्ण साधनों से प्राप्त संपत्ति आत्मिक उन्नति में बाधक बनती है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक ऊँचाइयों तक पहुँचाना है, न कि उसे अपने पापों पर आडंबर का आवरण चढ़ाने की अनुमति देना।

इतिहास स्वयं इस निर्विवाद सत्य का साक्षी है कि अपराध और दान का संगम कभी भी महानता की रचना नहीं कर सका। अनेक शासकों और धनाढ्य व्यक्तियों ने अस्पताल, विद्यालय और धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, परंतु उनके अत्याचार, अन्याय और निर्दयता उन्हें कभी महान नहीं बना सके। जनता के खून-पसीने और पीड़ा से अर्जित धन से खड़े किए गए भवन केवल निर्जीव पत्थर के ढाँचे होते हैं, जिनमें नैतिकता और संवेदनशीलता की आत्मा का सर्वथा अभाव होता है। समय ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आचरण और कर्मों से आँका जाता है, न कि उसके दान की भव्यता और राशि से।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी गलत कमाई से किया गया दान आत्म-शुद्धि का एक झूठा भ्रम उत्पन्न करता है। अनेक लोग इसे अपने अपराध-बोध से मुक्ति पाने का सरल उपाय मान लेते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि कुछ धन दान कर देने मात्र से उनके पाप धुल जाएँगे और उनका अंतर्मन निर्मल हो जाएगा। किंतु यह मानसिकता आत्म-सुधार नहीं, बल्कि आत्म-छल और आत्म-प्रवंचना का रूप है। सच्चा प्रायश्चित तभी संभव होता है, जब मनुष्य अपने गलत मार्ग को त्यागकर सत्य, ईमानदारी और नैतिकता के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो। बिना आचरण बदले किया गया दान आत्मा को अस्थायी संतोष देने वाला एक छलावा मात्र बनकर रह जाता है।

समाज पर इस प्रवृत्ति का प्रभाव अत्यंत गहरा और चिंताजनक होता है। जब बेईमान लोग बड़े-बड़े दानों के माध्यम से सम्मान, प्रतिष्ठा और सामाजिक स्वीकार्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति स्वयं को उपेक्षित और हताश अनुभव करता है। इससे समाज का नैतिक संतुलन डगमगाने लगता है और युवाओं को यह गलत संदेश मिलने लगता है कि सफलता का मार्ग सत्य और परिश्रम से नहीं, बल्कि चतुराई, छल और अनैतिकता से होकर जाता है। धीरे-धीरे यही सोच पूरे सामाजिक ताने-बाने को खोखला कर देती है और परस्पर विश्वास की नींव को गहराई से हिला देती है।

वास्तव में सच्चा दान वही होता है, जो त्याग, करुणा और पवित्र परिश्रम की भूमि पर अंकुरित होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी सीमित आय और साधनों के बावजूद दूसरों की पीड़ा को समझकर सहायता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसका योगदान आकार में छोटा होकर भी मूल्य में महान बन जाता है। उसमें अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि निःस्वार्थ सेवा की भावना होती है। ऐसा दान समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और नैतिक मूल्यों की जड़ों को और अधिक सुदृढ़ करता है। इसके विपरीत, गलत कमाई से किया गया दान प्रायः दिखावे, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की अतृप्त लालसा से प्रेरित होता है, जिसमें संवेदना से अधिक स्वार्थ छिपा होता है।

समाधान का मार्ग पूर्णतः स्पष्ट और निर्विवाद है। हमें दान की मात्रा और भव्यता से अधिक उसके स्रोत और भावना की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करना होगा। समाज का दायित्व है कि वह भ्रष्टाचार और अनैतिकता से अर्जित धन को सम्मान देने के बजाय ईमानदार, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ जीवन को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित करे। शिक्षण संस्थानों, धार्मिक संगठनों और मीडिया को भी इस विषय पर निरंतर जागरूकता फैलाकर लोगों की सोच को सही दिशा देनी चाहिए। जब हम संपत्ति से ऊपर चरित्र को स्थान देंगे, तभी सच्चे अर्थों में एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और नैतिक समाज का निर्माण संभव हो सकेगा। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि गलत तरीकों से कमाए गए धन से किया गया दान पुण्य नहीं, बल्कि अन्याय और पाप पर चढ़ाया गया एक चमकदार आवरण मात्र है। यह समाज को भ्रमित करता है, सत्य को ढक देता है और नैतिक मूल्यों को धीरे-धीरे क्षीण कर देता है। सच्ची धार्मिकता मंदिरों, मस्जिदों या दानपेटियों की सीमाओं में नहीं, बल्कि ईमानदार जीवन, अडिग सत्यनिष्ठा और करुणामय आचरण में निवास करती है। हमें इतना साहस अवश्य दिखाना होगा कि हम ऐसे दिखावटी दान की प्रशंसा करने से इंकार करें और स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करें—पुण्य का मार्ग केवल शुद्ध, न्यायपूर्ण और नैतिक साधनों से होकर ही जाता है।

-प्रो. आरके जैन

कब कटेगी सांसदों और विधायकों की पेंशन?

सरकार जब भी आर्थिक अनुशासन, बजट संतुलन या खर्च घटाने की बात करती है, तो सबसे पहले निशाने पर सामाजिक पेंशन योजनाएँ आ जाती हैं। विशेष रूप से बुढ़ापा पेंशन को लेकर बार-बार समीक्षा, कटौती और पात्रता की शर्तें सख्त करने की चर्चाएँ सामने आती रही हैं। हालिया बयानबाजी ने एक बार फिर यह मूल सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर आर्थिक सुधारों का भार हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्ग—बुज़ुर्गों, किसानों और मजदूर परिवारों—पर ही क्यों डाला जाता है?

बुढ़ापा पेंशन कोई सरकारी कृपा या रियायत नहीं है। यह उस सामाजिक अनुबंध का हिस्सा है, जिसमें राज्य यह स्वीकार करता है कि जिन नागरिकों ने अपनी पूरी उम्र देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में लगा दी, उन्हें बुढ़ापे में न्यूनतम सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। खेतों में पसीना बहाने वाले किसान, ईंट-भट्टों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी—इनमें से अधिकांश के पास न तो कोई पेंशन फंड होता है और न ही स्थायी बचत। ऐसे में बुढ़ापा पेंशन उनके लिए दवा, राशन और रोज़मर्रा की ज़रूरतों का आधार बनती है।

इसके बावजूद जब भी सरकारी खजाने पर दबाव की बात आती है, तो सबसे आसान रास्ता बुज़ुर्गों की पेंशन पर कैंची चलाना मान लिया जाता है। कभी फसल का बहाना, कभी ज़मीन का रकबा, कभी पारिवारिक आय और कभी बैंक खाते की तकनीकी खामियाँ—इन सब कारणों से हजारों पात्र बुज़ुर्ग पेंशन से वंचित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रशासनिक कम और अमानवीय अधिक प्रतीत होती है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि फसल, ज़मीन और आमदनी की ये सख्त कसौटियाँ केवल आम नागरिकों पर ही क्यों लागू होती हैं? क्या यही मानक विधायकों और सांसदों की पेंशन पर भी लागू होते हैं? क्या कभी यह जाँच की जाती है कि जनप्रतिनिधियों की वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है और उन्हें पेंशन की आवश्यकता है भी या नहीं? वास्तविकता यह है कि जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन और सुविधाएं उस वर्ग को प्राप्त होती हैं जो पहले से आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित है। कई विधायक और सांसद एक से अधिक बार निर्वाचित होने के बाद कई-कई पेंशन के हकदार बन जाते हैं। इसके अलावा उन्हें वेतन, भत्ते, सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा और अन्य विशेष सुविधाएँ भी मिलती हैं। इसके बावजूद इन पेंशनों पर न तो कोई स्पष्ट सीमा तय है और न ही इस पर गंभीर सार्वजनिक बहस होती है।

यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत समानता है—नीति और कानून सबके लिए समान होने चाहिए। यदि आम नागरिक से उसकी मामूली आय का हिसाब माँगा जा सकता है, तो जनप्रतिनिधियों से क्यों नहीं? यदि बुज़ुर्ग किसान की दो बीघा ज़मीन के आधार पर उसकी पेंशन रोकी जा सकती है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

वैलेंटाइनः प्रेम का पर्व या बाजार का उत्सव?

वैलेंटाइन डे का नाम लेते ही आज मन में गुलाब, चॉकलेट, टेडी और महंगे गिफ्ट्स की चमकदार तस्वीर उभर आती है। प्यार जैसे पवित्र भाव को हमने धीरे-धीरे बाजार की सजावटी वस्तु बना दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिना तोहफों के प्रेम अधूरा और बेकार है। लेकिन क्या सच में प्यार की पहचान इन दिखावटी चीजों से होती है? बिल्कुल नहीं। प्यार की असली भाषा त्याग, समर्पण और एक-दूसरे के लिए खुद को पीछे रखना है। जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी छोड़कर प्रियजन की मुस्कान में अपना सुख खोजता है, वही सच्चा प्रेम कहलाता है। दुर्भाग्य से आज का आधुनिक वैलेंटाइन इस पवित्र भावना को लगभग भुला चुका है।

पारंपरिक प्रेम की जड़ें त्याग और समर्पण में गहराई से जुड़ी हुई थीं। राम-सीता, राधा-कृष्ण, हीर-रांझा और लैला-मजनूं जैसी प्रेम कथाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम में त्याग सर्वोच्च मूल्य था। प्रेमियों ने समाज, परिवार और यहां तक कि अपने जीवन तक का बलिदान दिया। वैलेंटाइन डे की शुरुआत भी संत वैलेंटाइन के महान त्याग से हुई, जिन्होंने प्रेम की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उस समय प्यार कोई व्यापार नहीं था, बल्कि आत्माओं का पवित्र रिश्ता था। आज के दौर में यह भावना कमजोर होती जा रही है। त्याग की जगह अब दिखावे और स्वार्थ ने ले ली है।

मॉडर्न लव की दुनिया में सोशल मीडिया ने प्यार को एक मंच बना दिया है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर महंगे डिनर, लग्जरी ट्रिप और कीमती गिफ्ट्स की तस्वीरें आज प्रेम का प्रमाण मानी जाती हैं। लोग अब कम महसूस करते हैं और ज्यादा दिखाते हैं। पारंपरिक प्रेम में त्याग चुपचाप होता था, बिना किसी प्रचार और प्रदर्शन के। मां का बच्चे के लिए रातभर जागना, पिता का अपनी इच्छाओं को दबाना – ये निःस्वार्थ प्रेम के सच्चे उदाहरण थे। लेकिन आज का वैलेंटाइन इन मूल्यों को लगभग भूल चुका है। पूंजीवाद ने प्यार को व्यापार में बदल दिया है, जहां भावनाएं भी बिकाऊ वस्तु बन गई हैं।

दार्शनिक दृष्टि से प्रेम आत्माओं का मिलन है, न कि वस्तुओं का लेन-देन। प्लेटो और अरस्तू जैसे महान दार्शनिकों ने प्रेम को आत्मिक विकास और चरित्र निर्माण का माध्यम माना। पारंपरिक प्रेम इसी विचारधारा पर आधारित था, जहां प्रेम इंसान को बेहतर बनाता था। लेकिन आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद तेजी से बढ़ा है। लोग अपने सुख और सुविधा को प्राथमिकता देने लगे हैं। गिफ्ट्स केवल क्षणिक आत्म-संतोष देते हैं, जबकि त्याग स्थायी आत्म-परिवर्तन लाता है। डेटिंग ऐप्स की संस्कृति ने रिश्तों को अस्थायी और सतही बना दिया है। आज प्यार एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक विकल्प बनकर रह गया है।

भारतीय संस्कृति में त्याग को सदैव पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। सावित्री, सती-सावित्री, मीरा और सीता जैसे आदर्श चरित्र हमें प्रेम में समर्पण और निष्ठा का सही अर्थ समझाते हैं। यहां प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि साधना और तपस्या था। लेकिन वैश्वीकरण के प्रभाव से वैलेंटाइन पश्चिमी संस्कृति के साथ भारतीय समाज में प्रवेश कर गया। धीरे-धीरे युवा वर्ग ने इसे अपनाया, पर उसके साथ उपभोगवाद भी फैलता गया। गिफ्ट्स प्रेम का मापदंड बन गए। रिश्ते तेजी से बनते हैं और उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। स्थिरता की जगह अब अस्थिरता ने ले ली है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से त्याग विश्वास, सुरक्षा और अपनापन पैदा करता है। एरिक फ्रॉम के अनुसार, प्रेम देना सीखना ही सच्चा प्रेम है। पारंपरिक प्रेम इसी सिद्धांत पर आधारित था। त्याग से विश्वास मजबूत होता था और रिश्ते गहराते थे। लेकिन महंगे उपहार केवल क्षणिक खुशी देते हैं। वे डोपामाइन बढ़ाते हैं, पर स्थायी संतोष नहीं दे पाते। जैसे ही उपहार कम होते हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है। कई युवा वैलेंटाइन पर अपेक्षाएं पूरी न होने पर निराश हो जाते हैं, जिससे मानसिक तनाव और अकेलापन बढ़ता है।

साहित्य और सिनेमा भी हमें त्याग का महत्व बार-बार समझाते हैं। फिल्म 'टाइटैनिक' में जैक का बलिदान आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देता है, इसलिए वह प्रेम अमर बन गया। इसके विपरीत, फूल और चॉकलेट कुछ ही दिनों में मुरझा जाते हैं। वे गहरी यादें नहीं बनाते, केवल क्षणिक सुख देते हैं। पारंपरिक प्रेम में त्याग जीवनभर की कहानी बन जाता था। आज मार्केटिंग ने प्यार को एक इंस्टेंट प्रोडक्ट बना दिया है। कंपनियां मुनाफा कमाती हैं, लेकिन रिश्ते दिन-ब-दिन खोखले होते जा रहे हैं।

प्यार की असली भाषा त्याग है, गिफ्ट नहीं। वैलेंटाइन डे ने इस सच्चाई को धीरे-धीरे भुला दिया है, क्योंकि उपभोगवाद ने प्रेम को आकर्षक पैकेज में बदल दिया है। पारंपरिक प्रेम में त्याग से रिश्ते मजबूत और स्थायी होते थे, जबकि आधुनिक प्रेम में दिखावे से वे कमजोर और अस्थिर होते जा रहे हैं। हमें फिर से छोटे-छोटे त्यागों को अपनाना होगा – समय देना, समझना, साथ निभाना और सम्मान करना। वैलेंटाइन जरूर मनाएं, लेकिन दिल और भावना से। जब प्रेम में त्याग वापस लौटेगा, तभी वह सच्चा, गहरा और अमर बन सकेगा।

-कृति आरके जैन

सहमे माहौल के आर्थिक सौदे

आर्थिक संकट के दबावों के बाहर जो तस्वीर बन रही है, वहां न रेवड़ियां मीठी रहेंगी और न ही बांटने की तासीर बचेगी, फिर भी कुछ सियासी सौदे हैं जो महंगे आश्वासन देते रहेंगे। सहमे से माहौल में हिमाचल का अर्थतंत्र भले ही कयामत का उद्घोष करे, मगर तबाही में भी कर्मचारी इंसाफ की दुहाई मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू अपने साथ भले ही घाटे के बही खाते उठाए दिल्ली जाते हैं, मगर कर्मचारी वर्ग को न्याय की परिपाटी से अलग नहीं करते। आश्वासन यह कि भले ही यूपीएस के फार्मूले में वित्तीय व्यवस्था सुधर जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार की वचनबद्धता ओपीएस पर कुर्बान रहेगी। सैलरी और पेंशन के दबाव सरकार झेल लेगी। इस समय हिमाचल अपने आंकड़ों की दुरुस्ती में कांग्रेस सरकार को यह अवसर दे रहा है कि खर्च की बुनियाद पर विपक्ष को सुरक्षित मुद्रा में खड़ा कर दे या तुलनात्मक अध्ययन यह हो जाए कि किसके पांव और किसके साये लंबे होते रहे हैं। जाहिर है फिजूलखर्ची के कई जहाज हिमाचल में उड़ते रहे और उड़ रहे हैं। एक तुलना आरडीजी के माध्यम से भी हो रही है जहां पिछली भाजपा सरकार को पांच साल की अवधि में कुल 54296 करोड़ की सहायता मिली जो वर्तमान में सिमट कर 17563 करोड़ ही रह जाएगी।

-धनंजय राजौरा

डीपफेक का धोखा और डिजिटल सख्त नियमों की अनिवार्यता

डिजिटल युग में सूचना की गति जितनी तीव्र हुई है, उतनी ही तेजी से भ्रम, छल और दुष्प्रचार की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक तकनीक ने इस चुनौती को और जटिल बना दिया है। अब केवल शब्दों से नहीं, बल्कि चेहरों, आवाजों और भाव-भंगिमाओं से भी झूठ को सच की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने डीपफेक और एआई जनित सामग्री के नियमन के लिए आईटी नियमों को सख्त करने का निर्णय लिया है। बीस फरवरी से लागू होने जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार एआई द्वारा निर्मित सामग्री पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा और किसी भी अवैध या भ्रामक सामग्री को तीन घंटे के भीतर हटाना या ब्लॉक करना होगा। पहले यह समयसीमा 36 घंटे थी। यह बदलाव केवल तकनीकी संशोधन नहीं, बल्कि डिजिटल नैतिकता और लोकतांत्रिक जवाबदेही की दिशा में एक गंभीर हस्तक्षेप है।

पिछले कुछ वर्षों में डीपफेक तकनीक का दुरुपयोग भयावह रूप से सामने आया है। राजनीतिक नेताओं के फर्जी वीडियो, अभिनेत्रियों की अश्लील रूप से परिवर्तित तस्वीरें, सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले ऑडियो क्लिप और आर्थिक धोखाधड़ी के लिए बनाए गए कृत्रिम संदेश-ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि तकनीक तटस्थ नहीं रहती, उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव हैं। जब सत्य को जूता जा रहा हो और झूठ को परिष्कृत तकनीक के सहारे प्रमाणिकता का आवरण पहनाकर प्रस्तुत किया जा रहा हो, तब समाज में अविश्वास का वातावरण बनना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा नियंत्रण की पहल आवश्यक प्रतीत होती है, क्योंकि यह केवल अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की प्रतिष्ठा से जुड़ा विषय है।

नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से बढ़ाई गई है। अब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयोगकर्ता को यह जानकारी मिले कि साझा की जा रही सामग्री एआई से निर्मित है या नहीं। इससे पारदर्शिता का एक न्यूनतम मानक स्थापित होगा। साथ ही, तीन घंटे की समयसीमा यह संकेत देती है कि सरकार डिजिटल अपराधों की गंभीरता को समझ रही है। डीपफेक वीडियो के वायरल होने के बाद उसका खंडन अक्सर प्रभावहीन हो जाता है, इसलिए त्वरित कार्रवाई ही नुकसान को सीमित कर सकती है। परंतु यह भी सच है कि इतनी कम समय सीमा में सामग्री की सत्यता की जांच करना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत जटिल कार्य है। इससे प्लेटफॉर्मों पर निगरानी तंत्र को अत्यधिक सुदृढ़ करना पड़ेगा, जो लागत और संचालन दोनों के स्तर पर चुनौतीपूर्ण होगा।

यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि ÷आपत्तिजनक÷ या ÷भ्रामक÷ सामग्री की परिभाषा कौन और किस आधार पर तय करेगा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूलाधिकार है। यदि नियमन की प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायसंगत नहीं होगी, तो इसके दुरुपयोग की आशंकाएँ जन्म लेंगी। अतीत में भी यह देखा गया है कि जब-जब सोशल मीडिया पर नियंत्रण के प्रयास हुए, तब कुछ वर्गों ने इसे सरकारी अतिक्रमण के रूप में प्रस्तुत किया। इसलिए नियमन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का प्रयोग असहमति को दबाने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से दुष्प्रचार और अपराध को रोकने के लिए हो। इस दिशा में स्वतंत्र निगरानी तंत्र, न्यायिक समीक्षा और पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली अनिवार्य घटक हो सकते हैं।

वैश्विक परिदृश्य भी इसी संकट की ओर संकेत करता है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग की न्यूनतम आयु निर्धारित करने जैसे कदम उठाए हैं। अमेरिका में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभावों की जांच के लिए ऐतिहासिक मुकदमे चल रहे हैं। वहाँ की बड़ी तकनीकी कंपनियों पर युवाओं को लत लगाने वाली संरचनाएँ विकसित करने के आरोप लगे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि कई युवा जब अपने फोन से दूर किए जाते हैं तो वे मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शारीरिक असहजता भी अनुभव करते हैं। यह स्थिति केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं, भारत सहित विकासशील देशों में भी सोशल मीडिया का अनियंत्रित विस्तार सामाजिक और मानसिक संकट का कारण बन रहा है।

एआई उद्योग स्वयं भी एक नैतिक दुविधा के दौर से गुजर रहा है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में कंपनियाँ तकनीकी श्रेष्ठता की दौड़ में लगी हैं। इस दौड़ में सुरक्षा और नैतिकता के प्रश्न अक्सर पीछे छूट जाते हैं। हाल ही में एक प्रमुख कंपनी के सुरक्षा शोधकर्ता द्वारा विवादास्पद परियोजनाओं की अनियंत्रित गति पर असहमति जताते हुए त्यागपत्र देना इस तनाव का संकेत है। तकनीक की प्रगति जितनी तेज होगी, नियामक ढाँचे उतनी ही तेजी से अप्रासंगिक होते जाएँगे, यदि उन्हें समयानुकूल अद्यतन न किया जाए। इसलिए नियमन को केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि दूरदर्शी और सहभागी होना चाहिए।

भारत के संदर्भ में यह विषय और भी संवेदनशील है। यहाँ डिजिटल क्रांति ने अभूतपूर्व विस्तार पाया है। करोड़ों नए उपयोगकर्ता प्रतिवर्ष ऑनलाइन आ रहे हैं। ऐसे में यदि असली और नकली के बीच का फर्क स्पष्ट न रहे तो लोकतांत्रिक विमर्श ही संदिग्ध हो जाएगा। चुनावी प्रक्रिया, सामाजिक सद्भाव, आर्थिक लेन-देन और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा-सभी पर डीपफेक का खतरा मंडरा सकता है। इसलिए एआई जनित सामग्री पर लेबलिंग का प्रावधान केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सूचना साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। परंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि लेबलिंग तभी प्रभावी होगी जब आम उपयोगकर्ता डिजिटल साक्षर हो। अन्यथा वह लेबल को समझे बिना ही सामग्री साझा करता रहेगा।

आगामी ई-समिट और भारत के 'इंडिया एआई मिशन' के संदर्भ में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है कि तकनीक का विकास पारदर्शिता, शुद्धता और प्रमाणिकता के मूल्यों के साथ हो। यदि भारत वैश्विक एआई नेतृत्व का दावा करना चाहता है, तो उसे नैतिक मानकों की स्थापना में भी अग्रणी भूमिका निभानी होगी। केवल स्टार्टअप्स और नवाचार की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि एआई मानव गरिमा, गोपनीयता और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करे। नियमन का उद्देश्य तकनीकी प्रगति को रोकना नहीं, बल्कि उसे उत्तरदायी बनाना होना चाहिए।

अंततः यह समझना होगा कि डीपफेक और एआई का संकट केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक भी है। कानून आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही, सरकार की पारदर्शिता, न्यायपालिका की सतर्कता और नागरिकों की जागरूकता-इन सबका समन्वय ही इस चुनौती का स्थायी समाधान दे सकता है। यदि नियमन संतुलित और निष्पक्ष होगा तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के बजाय उसे सुरक्षित करेगा, क्योंकि स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह सत्य और जिम्मेदारी के साथ जुड़ी हो। झूठ को सच में बदलने की तकनीकी क्षमता जितनी बढ़ रही है, उतनी ही दृढ़ता से सत्य की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प भी आवश्यक है। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी नैतिक परीक्षा है, और यही लोकतांत्रिक समाज की अगली कसौटी भी।

-ललित गर्ग

वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल व वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वरिष्ठ नागरिक संस्था द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय देवास, सामाजिक न्याय विभाग एवं पुलिस सायबर सेल के सहयोग से वरिष्ठजनों के लिए डिजिटल एवं फाइनेंशियल लिटरेसी (वित्तीय साक्षरता) विषय पर एक महत्वपूर्ण विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को साइबर सुरक्षा, डिजिटल लेन-देन की सावधानियाँ तथा वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक करना था।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायिक मजिस्ट्रेट कुं. युवराजसिंह रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के डिजिटल युग में वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूक और सतर्क रहना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने डिजिटल भुगतान करते समय ओटीपी साझा न करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करने और किसी भी प्रकार की शंका होने पर तुरंत साइबर सेल या पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी।

विशिष्ट अतिथि रोहित श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि समाज के हर वर्ग को विधिक जानकारी मिल सके। उन्होंने वरिष्ठजनों को निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी। सायबर सेल से आईं श्रीमती गीता कानूनगो, आरती जादौन एवं मोनू राणावत ने डिजिटल फ्रॉड के विभिन्न तरीकों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे ठग बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं, केवाईसी अपडेट के नाम पर जानकारी मांगते हैं या फर्जी ऐप डाउनलोड करवाकर खाते से राशि निकाल लेते हैं।

उन्होंने सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के सरल उपाय भी समझाए। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ नागरिक संस्था के अध्यक्ष ओ.पी. पाराशर के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह शिविर वरिष्ठजनों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा और उन्हें आत्मविश्वास के साथ डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में मदद करेगा। अतिथियों का स्वागत संस्था अध्यक्ष गंगासिंह सोलंकी ने अंगवस्त्र पहनाकर किया। अध्यक्ष कार्यक्रम का सफल संचालन गंगासिंह सोलंकी एवं श्याम कुमार शाह द्वारा किया गया। इस अवसर पर हिमांशु कुमार ढाली, श्रवण कुमार कानूनगो, बी.के. जोशी, बीसी ताकोणे, दिलीप उपाध्याय, रमेश रजक, बंशीधर चावडा, शीलनाथ आरस, कैलाशचंद्र नागर, रामसिंह केलकर, रश्मि पाण्डेकर सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठजन उपस्थित रहे। अंत में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों ने इस प्रकार के ज्ञानवर्धक शिविरों के आयोजन के लिए संस्था एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। अंत आभार गंगासिंह सोलंकी ने माना।

कलेक्टर ने फूड सेफ्टी को लेकर की बैठक

जबलपुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने आज फूड सेफ्टी को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक कर निर्देशित किया कि अमानक खाद्य पदार्थों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि नाले के पानी से उगने वाली सब्जियों को लेकर भी संबंधित व्यक्तियों पर कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि सभी रेस्टोरेंटों में फूड सेफ्टी को लेकर एडवाइजरी का पोस्टर लगवाना सुनिश्चित करें। होली के दौरान बनने वाले खाद्य पदार्थ व मिष्ठानों पर छापामारी करें।

आईस्क्रीम पार्लर की जांच करे व आईस्क्रीम के सैंपल लें, कलर्ड गुजिया व मावे की जांच करें। रात में स्ट्रीट फूड लगाने वालों के खाद्य पदार्थों की भी जांच करें। उन्होंने कहा कि जोमेटो व स्वीगी के किचिन की जांच भी करें और यदि फ्रोजन मटेरियल पाया जाता है, जिसे माइक्रोवेव का उपयोग कर बेचा जाता है तो उसे सील करें। कलेक्टर श्री सिंह के निर्देशों के पालन में अभिहित अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा द्वारा जिले के सभी रेस्टॉरेंट संचालकों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा के दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। जारी इस आदेश का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत किचिन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ग्लव्स, हेड कवर और एप्रिन का उपयोग अनिवार्य होगा । इसके साथ ही, प्रतिष्ठानों को परिसर की दीवारों, फर्श और छतों को पूरी तरह साफ और चिकना रखना होगा ताकि गंदगी जमा न हो सके । खाद्य सामग्रियों के उपयोग को लेकर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि एक्सपायरी या %बेस्ट बिफोर% तिथि निकल चुके पैकेटों को तुरंत नष्ट किया जाए । यदि निरीक्षण के दौरान ऐसे पैकेट पाए जाते हैं, तो यह माना जाएगा कि उनका उपयोग भोजन बनाने में किया जा रहा है और संबंधित रेस्टॉरेंट के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी । प्रशासन ने यह भी निर्देश दिया है कि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन के संग्रहण के लिए अलग-अलग फ्रीजर और पकाने के लिए अलग बर्तनों का उपयोग किया जाए। इसके अलावा, भोजन पकाने या पैक करने में न्यूज़पेपर जैसे प्रिंटेड पेपर का उपयोग पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। रेस्टॉरेंट संचालकों को अब अपने प्रतिष्ठान में कम से कम एक कर्मचारी को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रशिक्षित रखना अनिवार्य होगा।

सरकारी योजनाओं की नियमित समीक्षा करें- कलेक्टर

जबलपुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। राज्य शासन द्वारा प्रतिमाह कलेक्टर कांफ्रेंस के माध्यम से विभिन्न विभागों के चिन्हित विषयों पर प्रगति की समीक्षा की जाती है। उसी के तारतम्य में जिला स्तर पर भी प्रतिमाह विभागवार चयनित विषयों की बैठके की जाती है।

जिले में उक्त विषयों पर बेहतर प्रगति तथा जमीनी स्तर से फीडबैक लेने के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में उपखंड, ब्लॉक स्तर पर निर्धारित समय-सीमा पर भी बैठकें आयोजित होती रहें। इसके लिए उपखंड व ब्लॉक स्तरीय बैठकों के कैलेंडर भी जारी किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं पोषण, रोजगार-उद्योग एवं निवेश, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं जनजातीय कार्य विभाग सहित अन्य विषयों की बिंदुवार समीक्षा की जाएगी, ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक सुनिश्चित किया जा सके। समीक्षा बैठकों में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, सोयाबीन भावांतर योजना की प्रगति, किसानों को खाद वितरण की स्थिति तथा पराली/नरवाई जलाने की घटनाओं पर नियंत्रण की समीक्षा की जाएगी।

साथ ही ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का विस्तार, उद्यानिकी फसलों के क्लस्टर विकास, धार्मिक क्षेत्रों में फूलों की खेती को प्रोत्साहन तथा फूड प्रोसेसिंग एवं कृषि आधारित रोजगार सृजन की योजनाओं पर भी विस्तृत चर्चा होगी। पशुपालन में डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के क्रियान्वयन, गौशालाओं की संख्या वृद्धि तथा मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक के उपयोग की प्रगति का भी आकलन किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला पोषण समिति की नियमित बैठक आयोजन, गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार तथा मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम अंतर्गत पंजीयन एवं सुधार की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन, सिकल सेल जांच, टीबी स्क्रीनिंग, निक्षय पोषण वितरण तथा नवजात शिशु देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शत-प्रतिशत बाल मृत्यु समीक्षा, पीआईसीयू प्रबंधन, आयुष्मान भारत योजना, वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित योजनाएं तथा पात्र हितग्राहियों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा। रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की प्रगति, जिला स्तरीय कौशल विकास समिति की बैठकों का आयोजन, एक जिला एक उत्पाद के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा, डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की नियमित बैठकें तथा स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति एवं बैंक ऋण वितरण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।

नए लेबर लॉ के खिलाफ सडक़ों पर उतरे कर्मचारी, 10 से अधिक ट्रेड यूनियनों संयुक्त रूप से कामबंद हडताल कर किया प्रदर्शन

बैंकिंग व परिवहन सेवाए हुई प्रभावित, मांगे नही मानी तो आगे भी होगा प्रदर्शन

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। केंद्र सरकार की श्रम, कृषि और आर्थिक नीतियों के विरोध में 10 से अधिक प्रमुख ट्रेड यूनियनों द्वारा 12 फरवरी को सिविल लाईन चौराहा स्थित एलआईसी क्रं. 2 पर कामबंद हडताल कर जमकर प्रदर्शन किया गया। इंटक प्रदेश मीडिया प्रभारी कैलाश वर्मा ने बताया कि दो घंटे से अधिक चली इस हडताल में आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, सीआईटीयू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, एसईडब्ल्यूए, एआईसीसीटीयू, एपीएफ एवं यूटीयूसी सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों पदाधिकारी व कर्मचारियों ने संयुक्त मंच से इस हड़ताल में हिस्सा लेकर अपनी मांगे रखी व सरकार द्वारा जबरन लादे जा रहे चार नए श्रम कानूनों के विरोध में जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन में मुख्य रूप से पूर्व महापौर ठाकुर जयसिंह भी शामिल हुए, जिन्होंने हडताल का समर्थन किया व उपस्थित कर्मचारियों का मनोबल बडाते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियां श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात कर रही हैं और कार्यस्थल की सुरक्षा व अधिकारों को खतरे में डाल रही हैं।सरकार कर्मचारी विरोधी है। कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है। जबरन काला कानून को थोप कर कर्मचारियों का हनन कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार 36 प्रतिशत पर बनी है। सरकारों की हठधर्मिता के कारण कर्मचारी अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे है। समय आने पर सरकार को बताया जाएगा। प्रदर्शन को इंटक संगठन मंत्री लाखनसिंह ठाकुर, कैलाश वर्मा, दिलीप परमार, मकसूद पठान, शंकरलाल चौधरी, जेएस जाधव, पंजाबराव काले, बैंक एसोसिएशन मोहन जोशी, कैलाश सिंह राजपूत, बैंक एम्पलाई फेडरेशन क्षेत्रीय अध्यक्ष मोरसिंह राजपूत आदि ने भी संबोधित किया। संगठनों की प्रमुख मांगें है कि चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड्स) और उनसे जुड़े नियमों को रद्द किए जाए। ड्राफ्ट सीड बिल को वापस लेने की मांग। बिजली संशोधन विधेयक को निरस्त करने की मांग। न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित कानून) को वापस ले। मनरेगा की बहाली करे। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को रद्द करने आदि मांगे शामिल है। हडताल से बैंकिंग, बीमा व परिवहन सेवाओं पर असर देखने को मिला। यूनियनों का कहना है कि यदि समय रहते मांगे नही मानी गई तो आगामी दिनों में भारतबंद आंदोलन कर प्रदर्शन किया जाएगा।

धार्मिक आयोजनों और त्यौहारों पर सभी व्यवस्थायें चाक-चौबंद रहें - प्रभारी मंत्री श्री सिलावट

ग्वालियर/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि धार्मिक आयोजनों एवं त्यौहारों के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाएं। जिन स्थानों पर अधिक भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो वहाँ पर सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रबंधन भी सुनिश्चित किए जाएं।

प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने गुरुवार को जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में यह बात कही। मुरार सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में विधायक भितरवार श्री मोहन सिंह राठौर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह राजपूत, आईजी श्री अरविंद कुमार सक्सेना, डीआईजी श्री अमित सांघी, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री सोजान सिंह रावत, एसडीएम भितरवार श्री राजीव समाधिया सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि जिले के डबरा में नवग्रह शक्ति पीठ पर आयोजित हो रहे धार्मिक आयोजन में गत दिनों जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटना पुनः न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वहाँ पर आ रहे धर्म प्रेमी, नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ अन्य प्रबंधन भी मुस्तैदी से हों, यह सुनिश्चित किया जाए। कंट्रोल रूम गठित हो और वरिष्ठ अधिकारी निरंतर मॉनीटरिंग करें, यह भी सुनिश्चित किया जाए।

आयोजकों से भी इस संबंध में सतत संपर्क कर व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया जाए। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी नियमित व्यवस्थाओं को देखें और मॉनीटरिंग करें। आयोजन स्थल पर एवं आसपास भी फायर सेफ्टी, पार्किंग एवं आपदा प्रबंधन की टीम भी मुस्तैद रहे। प्रसादी वितरण व्यवस्था पर भी निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले मार्गों पर भी सुरक्षा एवं अन्य प्रबंधन किए जाएं। इसके साथ ही चिकित्सा दल भी कार्यक्रम स्थल के आसपास तैनात रहे और जरूरत पड़ने पर तत्परता से कार्य करे। दल में चिकित्सकों को भी अनिवार्यतः रखा जाए। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि जिले में त्यौहारों के दौरान भी सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थायें चाक-चौबंद रहें, इसके लिये जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाएं। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर भी सभी शिव मंदिरों पर साफ-सफाई की व्यवस्थायें बेहतर हों। बैठक में आईजी श्री अरविंद कुमार सक्सेना ने डबरा सहित अन्य धार्मिक आयोजनों के संबंध में पुलिस द्वारा किए गए प्रबंधनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डबरा में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ फायर, पार्किंग, चिकित्सा आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। त्यौहारों के दृष्टिगत भी सभी प्रसिद्ध मंदिरों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि डबरा में जिला प्रशासन के माध्यम से राजस्व अधिकारियों सहित अन्य विभागीय अधिकारियों को तैनात किया गया है।

संस्था नमो-नमो द्वारा लगातार 13 वे वर्ष में भव्य एवं अनूठी शिव बारात 15 फरवरी को

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। संस्था नमो-नमो द्वारा इस वर्ष महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर लगातार 13 वे वर्ष में भी भव्य एवं अनूठी शिव बारात का आयोजन किया जा रहा है। शिव बारात रविवार, 15 फरवरी को सायं 5 बजे सयाजी द्वार से प्रारंभ होगी। संस्था संयोजक राजेश यादव एवं अध्यक्ष वरुण अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष की शिव बारात को विशेष रूप से आकर्षक एवं भव्य रूप दिया गया है। देश के विभिन्न राज्यों से कलाकार इसमें शामिल होंगे। केरल की प्रसिद्ध ढोल पार्टी, गुजरात की महिलाओं की डमरू पार्टी, उत्तर प्रदेश की सजीव झांकियां, रतलाम की चलित झांकियां तथा बेरसिया के कलाकारों द्वारा देवताओं की सजीव झांकियां मुख्य आकर्षण रहेंगी। शिव बारात में भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर माता पार्वती को ब्याहने के लिए प्रस्थान करेंगे, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस अवसर पर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, जिलाध्यक्ष रायसिंह सेंधव, विधायक गायत्री राजे पंवार, पूर्व जिलाध्यक्ष राजीव जी खंडेलवाल, महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष बहादुर मुकाती, नंदकिशोर पाटीदार, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, शरद पचूनकर, कवि शशिकांत यादव एवं विश्वामित्र अवार्डी सुदेश सांगते विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। शिव बारात में अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालुओं से सहभागिता का आग्रह किया है।

जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर नियंत्रण के लिए अभियान

जबलपुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार संपूर्ण जिला अंतर्गत खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर नियंत्रण की दृष्टि से एक साथ नर्मदा नदी एवं हिरन नदी के घाटों पर एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले की टीम द्वारा छापामार कार्यवाही कराई गई। जिले में यह अभियान विगत 03 दिवस तक लगातार चलाया गया। कार्यवाही के दौरान तहसील सिहोरा अंतर्गत ग्राम देवरी, खिरहेनी, घोराकोनी एवं मढ़ा क्षेत्र में नदी से रेत की अवैध निकासी न हो इसके लिए घाटों को जाने वाले रास्तों को अवरुद्ध किया गया एवं नदी के किनारे पड़ी रेत के ढेरों को नदी में समावेश किया गया। इसी प्रकार तहसील कुंडम क्षेत्र में ग्राम कल्याणपुर एवं रानीपुर घाटों में जांच कर रास्ते को अवरुद्ध किया गया। तहसील शहपुरा क्षेत्र में ग्राम भड़पुरा, शीतलपुर क्षेत्र में जांच कर लगभग 4000 घनमीटर रेत अनाधिकृत रूप से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा विभिन्न स्थलों पर एकत्र किया गया, उसे नदी में जेसीबी मशीनों द्वारा गिराया गया। राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा ग्राम सगड़ा झपनी में छापामार कार्यवाही कर 150 घनमीटर रेत एकत्रित किया गया को नर्मदा नदी में गिराया गया। तहसील पाटन क्षेत्र अंतर्गत हिरन नदी के घाट महुआखेड़ा, जूरीकला, पौड़ीकला, गाड़ाघाट, मडवा, कैमारी घाट का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गाड़ाघाट से लगे कोनीकला घाट में लगभग 200 घनमीटर रेत एकत्रित पाई गई, जिसे नदी के जल प्रवाह में डालकर विनिष्ट किया गया। इन घाटों पर बने रास्ते एवं रेम्प को भी नष्ट किया गया। तहसील सिहोरा क्षेत्र में जांच के दौरान 03 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत अवैध परिवहन करते जप्त किया गया, जिनके विरुद्ध खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए।

शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का जिले में हो बेहतर क्रियान्वयन - संभाग आयुक्त

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की हुई समीक्षा

ग्वालियर/दैनिक मालवा हेराल्ड। शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके साथ ही आमजनों की समस्याओं का भी समय-सीमा में और सकारात्मक निराकरण हो, यह सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने गुरुवार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में ग्वालियर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान सहित संभाग के दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर जिलों के कलेक्टर एवं विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और कार्यक्रमों का जिले में बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिये जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में व्यवस्थित प्लान बनाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्याओं का भी सकारात्मक और समय पर निराकरण हो, इसके लिये जिला कलेक्टर नियमित समीक्षा कर निराकरण सुनिश्चित कराएं। सीएम हैल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण समय-सीमा में हो। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्रवाई होना चाहिए। संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने बैठक में कानून व्यवस्था, राजस्व प्रकरणों की समीक्षा, कृषि विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास आदि विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि विशिष्ट अतिथियों एवं अतिविशिष्ट अतिथियों के आगमन एवं धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजनों के दौरान सुरक्षा एवं अन्य प्रबंधन बेहतर हो, इसके लिये जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन समन्वय स्थापित कर व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान सभी जिला कलेक्टरों से कहा गया कि नामांतरण, सीमांकन एवं बटवारे के साथ-साथ राजस्व संबंधी जो भी प्रकरण हैं उनका निराकरण राजस्व अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में करना सुनिश्चित करें।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों के निराकरण के लिये जो समय-सीमा निर्धारित है, उसका विशेष ध्यान दिया जाए। समय-सीमा में निराकरण न करने वाले राजस्व अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाए। सीएम हैल्पलाइन में नॉन अटेंड करने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई संभाग आयुक्त श्री मनोज खत्री ने कहा कि सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को न देखने वाले (नॉन अटेंड) अधिकारियों और कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। शिकायतों का निराकरण न करना घोर लापरवाही है। इसके साथ ही शिकायतों का नकारात्मक निराकरण करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि सीएम हैल्पलाइन में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सभी विभागीय अधिकारी करें। जिला कलेक्टर सीएम हैल्पलाइन की निरंतर मॉनीटरिंग कर जिले की रैंकिंग को बेहतर बनाने का कार्य करें। पराली जलाने वालों को करें चिन्हित संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने कहा कि ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में पराली जलाने वालों को चिन्हित किया जाए। आगामी दिनों में फसल कटाई के उपरांत पराली जलाने की घटनायें सामने आती हैं। सभी जिलों में गत वर्षों के अनुभव को देखते हुए चिन्हांकन का काम किया जाए। इसके साथ ही किसानों को भी कृषि विभाग के माध्यम से आवश्यक सलाह विभिन्न प्रचार माध्यमों से दी जाएं। कृषि विभाग के माध्यम से पराली के बेहतर प्रबंधन के संबंध में भी जानकारी दी जाए। कृषि विभाग के अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों को कृषि की आधुनिक जानकारियां भी प्रदान करें। एक जिला एक उत्पाद के तहत दूसरा उत्पाद भी चिन्हित करें संभागीय आयुक्त श्री मनोज खत्री ने कहा कि ग्वालियर संभाग के सभी जिलों में एक जिला ङ्क एक उत्पाद का चयन किया गया है। शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में 2 ङ्क 2 उत्पादों को चयनित करने के निर्देश दिए गए हैं। संभाग के सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिले में द्वितीय उत्पाद का चयन कर उसे प्रोत्साहित करने का कार्य करें। की गई कार्रवाई से वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत कराया जाए। संभागीय आयुक्त श्री खत्री ने बैठक में ग्रामीण विकास, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग सहित शासन की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की भी समीक्षा की।

स्वरोजगार योजनाओं के लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करें - कलेक्टर

रीवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर्स कांफ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी कलेक्टर्स कांफ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं पर कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। स्वरोजगार योजनाओं के बैंकों में लंबित प्रकरण स्वीकृत कराकर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करें। निर्धारित लक्ष्य से 25 प्रतिशत अधिक प्रकरण बैंकों में दर्ज करायें। अग्रणी बैंक प्रबंधक डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा धरती आबा योजना के सभी प्रकरणों का 3 दिवस में निराकरण करायें। बैठक में कलेक्टर ने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को धरती आबा योजना, टट्या मामा योजना के लक्ष्य से अधिक प्रकरण बैंकों में दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि उद्यानिकी, पशुपालन विभाग, जिला अंत्यावसायी सहकारी समिति, ग्रामोद्योग और उद्योग विभाग के अधिकारी दो दिन में लक्ष्य के अनुरूप प्रकरण बैंकों में दर्ज कराकर स्वीकृत और वितरित करायें।

नाले की भूमि पर ताना पेट्रोल पंप

कृषि उपज मंडी की भूमि पर भी किया कब्जा

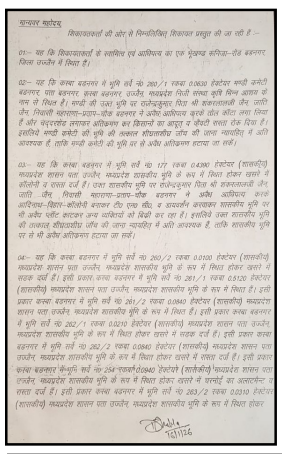

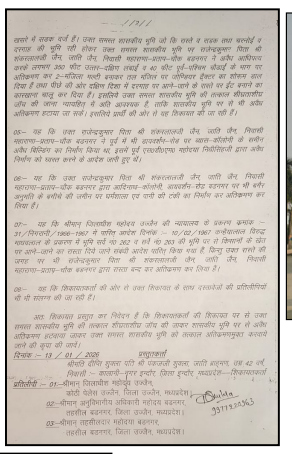

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। राजेंद्र कुमार पिता शंकर लाल जैन एक नाम ही नहीं बल्कि कहा जा सकता है कि यह एक ब्रांड भी राजेंद्र जैन जिन्हें डंगवाड़ा वाला के नाम से जाना जाता है राजेंद्र जैन जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इसके साथ ही बड़े व्यापारी कारोबारी भी है इन्हें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता इन्हें नगर के सबसे संपन्न व्यक्तियों की श्रेणी में गिना जाना जाता है तो वही इन्हें नगर सेठ भी कहा जाता है लेकिन आज हम इनकी चर्चा उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या व्यापारी तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे रूप का जिक्र कर रहे हैं जिसे माफिया कहा जाता है।

यह हम नहीं कलेक्टर एसडीएम व तहसीलदार के कार्यालय में पहुंची है शिकायत कह रही है आपको बता दे की श्रीमती दीप्ति शुक्ल पति पंकज शुक्ला निवासी इंदौर ने शिकायत की है कि राजेंद्र कुमार पिता शंकरलाल जैन जाति जैन द्वारा भूमि सर्वे नंबर 260/1 रकबा 0.0630 हेक्टर मंडी कमेटी के नाम से दर्ज है जिस पर राजेंद्र जैन द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर उसे पर अवैध आधिपत्य कर कर वहां तोल कांटा लगा लिया और चद्दर सेट लगाकर अतिक्रमण किया तथा किसानों के आदुत व वैवहटी मार्ग का रास्ता रोक दिया वही श्रीमती शुक्ला ने अपने शिकायती आवेदन में यह भी बताया कि भूमि सर्वे नंबर 177 रकबा 0.4390 हेक्टर शासकीय भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होकर खसरे में कॉलोनी व रास्ता है उस पर भी राजेंद्र जैन ने अवैध आधिपत्य कर आदिनाथ विहार कॉलोनी बनाकर टीएनसी, डायवर्सन करवाकर शासकीय भूमि पर अवैध प्लाट काटकर बिक्री कर रहा है आवेदन में और भी कई सर्वे नंबरों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि उक्त राजेंद्र जैन शासकीय भूमि जो कि रास्ते व सड़क तथा चरनोई व दरगाह की भूमि पर भी राजेंद्र कुमार जैन ने अवैध कब्जा कर वहां पर दो मंजिला मल्टी तान दी है और ट्रैक्टर का शोरूम भी डाल दिया है।

वही शिकायत में श्रीमती शुक्ला ने बताया कि शोरूम के पीछे दक्षिण दिशा में दरगाह पर आने जाने के रास्ते पर भी ईंट बनाने का कारखाना चालू कर दिया आदि कई बिंदुओं को लेकर शिकायतकर्ता ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई है और भूमाफिया राजेंद्र जैन की अवैध कब्जा व अवैध अतिक्रमण हटाने का निवेदन भी किया है बरहाल शिकायतकर्ता ने एक माह पहले शिकायत की थी लेकिन अभी तक राजस्व महकमे में कार्यवाही को लेकर कोई चहल-पहल दिखाई या सुनाई नहीं दे रही है नगर में यह भी चर्चा है कि कुछ समय पूर्व ग्राम बिरियाखेड़ी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमणकर गोडाउन बनाने के मामले में तहसीलदार के द्वारा कछुआ चाल से कार्यवाही की जा रही है तो नगर के इतने सक्षम प्रभावशाली व्यक्ति के अतिक्रमण को हटाने में उनका कार्यवाही करने का रवैया क्या रहेगा व कार्यवाही करने की जहमत तहसीलदार उठा पाएगी या नहीं यह भविष्य के गर्भ में है फिलहाल तो शिकायतकर्ता श्रीमती दीप्ति शुक्ला द्वारा शिकायत किये करीब एक माह बीत चुका है अब आधिकारि कार्यवाही कब करते हैं कार्यवाही करते हैं या मामले को रफा दफा किया जाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

कलेक्टर पीएनबी कृषक प्रशिक्षण केन्द्र की गतिविधियों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

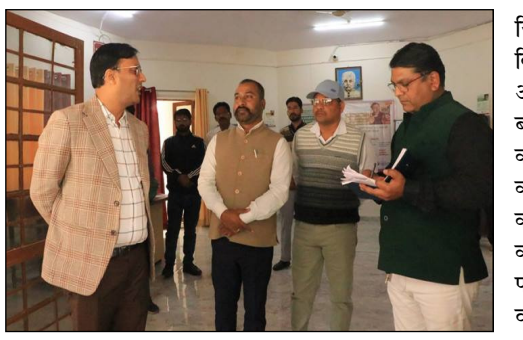

विदिशा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज पंजाब नेशनल बैंक कृषक प्रशिक्षण केन्द्र का भ्रमण कर यहां संचालित विभिन्न प्रशिक्षण एवं जनहित गतिविधियों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान केन्द्र के प्रबंधक द्वारा संस्थान के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार जानकारी प्रस्तुत की गई।प्रबंधक ने बताया कि यह प्रशिक्षण केन्द्र प्रतिवर्ष कृषकों, महिलाओं, बेरोजगार युवाओं एवं छात्रों के लिए पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। मध्यप्रदेश में इस प्रकार का यह एकमात्र केन्द्र है, जहाँ कृषि एवं कृषि से जुड़े विविध आय वर्धक विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। कृषकों के लिए पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट, औषधीय पौधों की खेती, प्राकृतिक खेती तथा उन्नत कृषि तकनीकों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

केन्द्र द्वारा केवल प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं, जिससे कई कृषक परिवारों के युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर, कृषक भ्रमण, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई, मेहंदी, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण, मृदा एवं जल प्रबंधन प्रशिक्षण, निःशुल्क महिला स्वास्थ्य शिविर तथा किसान मेले जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। औसतन प्रतिमाह लगभग 30 विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

केन्द्र की टीम गाँव-गाँव जाकर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भी आयोजित करती है। साथ ही कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य विभाग तथा लीड बैंक के कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग प्रदान किया जाता है। वृक्षारोपण अभियान सहित अन्य जनहित कार्यक्रम भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

पीएनबी प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशक श्री अजय परिहार ने बताया कि देश के 12 राज्यों में इस प्रकार के कृषक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं, जिनमें मध्यप्रदेश का एकमात्र केन्द्र विदिशा में स्थापित है। विदिशा जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की अनुपस्थिति के बावजूद यह केन्द्र कृषकों तक नई कृषि तकनीकों का प्रचार-प्रसार करता है तथा फसलों में लगने वाले रोगों एवं कीटों की रोकथाम के लिए प्राकृतिक एवं जैविक उपायों की जानकारी प्रदान करता है। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत केन्द्र द्वारा कृषकों, महिलाओं एवं स्कूली बच्चों को विभिन्न प्रकार की सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान केन्द्र की गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे संस्थान किसानों की आय वृद्धि , कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाई जाए, ताकि अधिकाधिक लोग इसका लाभ ले सकें। इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के उप संचालक श्री केएस खपड़िया सहायक संचालक श्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी साथ मौजूद रहे।

सामान्य उद्यमिता (प्रोजेक्ट उन्नती) बैच का समापन

विदिशा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम सामान्य उद्यमिता (प्रोजेक्ट उन्नती) बैच का आज संस्थान केंद्र पर समापन किया गया। प्रशिक्षण 07 फरवरी से 12 फरवरी 2026 तक छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण के दोरान सभी मनरेगा प्रशिक्षार्थीयों को रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित जानकारी कृषि तथा पशुपालन से संबंधित जानकारी दी गई जिसमें पालतू पशुओं गाय, भैंस, बकरी की उन्नत नस्ल, स्वच्छ दूध उत्पादन, पशुओं की बीमारी से अवगत कराया। साथ ही कृषि तथा पशु पालन से जुड़कर अपनी आय में अतरिक्त सुधार कर सकें। प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बने और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। जिससे कि बाजार पर निर्भरता कम हो सके इस तरह की जानकारी के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया।

समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मोहर सिंह भादोंरिया जिला प्रबंधक आजीविका मिशन, विदिशा साथ ही श्री सतीश बछेंरिया ने सभी प्रशिक्षार्थी को समुह की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। समापन समारोह में ग्राम पंचायत से हाँसुया रोज़गार सहायक श्री देशराज लोधी जी उपस्थित रहे। आरसेटी निदेशक श्री एफ सी महली ने सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन फैकल्टी पुष्पेन्द्र तथा फैकल्टी प्रशांत परिहार द्वारा किया गया।

धरावरा धाम पर सात दिवसीय मानस सम्मेलन एवं भागवत ज्ञान यज्ञ के लिए वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुआ भूमि पूजन

देपालपुर/ अंकित भोला परमार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। धार रोड स्थित प्राचीन आस्था केंद्र धरावरा धाम पर 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आश्रम के संस्थापक साकेतवासी महंत घनश्याम दास महाराज की 17 वीं पुण्यतिथि के अवसर पर होने वाले श्री मानस सम्मलेन एवं भागवत ज्ञान यज्ञ के दिव्य अनुष्ठान हेतु भूमि पूजन गुरुवार दोपहर अभिजीत मुहूर्त में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आश्रम के अधिष्ठाता महंत शुकदेव दास महाराज के सानिध्य में सम्पन्न हुआ।

इस अवसर पर मुख्य यजमान समाजसेवी नानूराम चौधरी ने संयोजक डॉ. सुरेश चोपड़ा, ललित अग्रवाल, अध्यक्ष दिनेश गर्ग, स्वागताध्यक्ष कल्याण भांगडिया, श्रीकांत शर्मा, अशोक कुमावत, देवेन्द्र सांखला एवं अन्य सहयोगी बंधुओं के साथ पहली गेंती चलाकर भूमि पूजन की रस्म सम्पन्न की। अतिथियों का स्वागत विजय सिंह राणा, गुमान सिंह, विष्णु चौधरी, मनोहर चौधरी, नवनीत लाहोटी एवं सुरेश बजाज ने किया। आयोजन की जानकारी अध्यक्ष दिनेश गर्ग ने देते हुए बताया कि धरावरा धाम पर शाजापुर जिले के प्रख्यात भागवत मनीषी पं. ब्रजकिशोर नागर धरावरा धाम भक्त मंडल न्यास की मेजबानी में प्रतिदिन दोपहर 1 से शाम 5 बजे तक भागवत कथामृत का रसपान कराएंगे। अनुष्ठान में आसपास के 25 गांवों के श्रद्धालुओं की भागीदारी रहेगी। भूमि पूजन समारोह में उपाध्यक्ष सीताराम नरेडी, महामंत्री अशोक कुमावत, कोषाध्यक्ष प्रवीण मोहन चौधरी तथा सर्वश्री प्रकाश मनोहर चौधरी, मनोहर चौधरी, प्रविण मोहन चौधरी, महेश नागर, प्रकाश खण्डेलवाल आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

दो दिवसीय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम अभिव्यक्ति का आयोजन हुआ संपन्न

जबलपुर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों के कार्यक्रम अभिव्यक्ति का आयोजन किया गया। कार्यक्रम 11 फरवरी से प्रारंभ होकर 12 फरवरी को समाप्त हुआ। उद्घाटन अवसर पर राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की प्रभारी संचालक श्रीमती लक्ष्मी पवैया मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं की मनमोहक प्रस्तुतियां डीएलएड प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थी द्वारा दी गई। एकल गायन, सामूहिक गायन, एकल नृत्य, सामूहिक नृत्य, रोल प्ले, लघु नाटिका, फैंसी ड्रेस इत्यादि का प्रदर्शन किया गया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पीएसएम की प्राचार्य श्रीमती एफ. इक्का रही। प्राचार्य ने अपने संबोधन में मार्गदर्शन देते हुए कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बच्चों की प्रतिभा निखरती है, उनके व्यक्तित्व का विकास होता है तथा विभिन्न राज्यों की संस्कृति से उनका परिचय होता है। कार्यक्रम में संस्था प्राचार्य श्री अजय कुमार दुबे, सहायक प्राध्यापक श्री सुनील शर्मा, श्री वाई.एन.द्विवेदी व्याख्याता केशव दुबे, अंजू त्रिपाठी, अनुपमा गुप्ता, कल्पना द्विवेदी, रजनी व्यवहार रजनी बहरे, श्री मनिहार, श्री प्रवीण सोनी, जितेंद्र द्विवेदी, श्री दिनेश सोनकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन संस्था की व्याख्याता श्रीमती भावना दुबे एवं श्री केशव दुबे द्वारा किया गया।

औचक निरीक्षण में सख्त दिखे कलेक्टर, बीज गुणवत्ता व भंडारण व्यवस्था का लिया जायजा

विदिशा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज विदिशा जिला मुख्यालय स्थित राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के बीज प्रक्रिया केन्द्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बीज प्रसंस्करण , भंडारण, गुणवत्ता परीक्षण एवं अभिलेख संधारण की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने केन्द्र में उपलब्ध विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों के स्टॉक रजिस्टर, लॉट नंबर, टैगिंग प्रणाली एवं नमी नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी संबंधित अधिकारियों से प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को वितरित किए जाने वाले बीजों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बीजों की शुद्धता, अंकुरण क्षमता एवं मानक अनुरूप पैकेजिंग सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने गोदामों की स्वच्छता, वेंटिलेशन व्यवस्था तथा कीट नियंत्रण उपायों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भंडारित बीजों को नमी, फफूंद एवं कीट संक्रमण से सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बीज की गुणवत्ता सीधे किसानों की उपज से जुड़ी होती है। उन्होंने नियमित अंतराल पर फ्यूमिगेशन एवं तकनीकी परीक्षण कराने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने बीज प्रसंस्करण मशीनों की कार्यप्रणाली देखी तथा कर्मचारियों से संचालन संबंधी जानकारी ली। उन्होंने मशीनों के समय पर रखरखाव (मेंटेनेंस) एवं सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही बीज वितरण सीजन के पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध हो सके।

विश्व दलहन दिवस पर किसानों के लिए गोदरेज एग्रोवेट का विशेष आउटरीच कार्यक्रम

मुंबई। भारत की पोषण सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य और ग्रामीण आजीविका में दालों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन, छोटे खेतों और कीट-बीमारियों की निरंतर प्रकोप के साथ-साथ उन्नत बीजों की कमी के कारण दालों की पैदावार प्रभावित हो रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब किसानों को जमीनी स्तर पर मजबूती के साथ ठोस उपाय योजनाओं व उनका सहयोग करने की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व दलहन दिवस के अवसर पर गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस ने एक किसान आउटरीच पहल शुरू की है, जिसका लक्ष्य पांच लाख से अधिक दलहन किसानों तक पहुंचना था। इस पहल के तहत उन्नत कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका ध्यान किसानों को सटीक जानकारी देकर टिकाऊ दलहन खेती के लिए सक्षम बनाने पर था। इन प्रशिक्षण सत्रों में अरहर, चना और मूंग जैसी प्रमुख फसलों को शामिल किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली कृषि चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। किसानों को मिट्टी की सेहत और मौसम के प्रभाव के साथ-साथ फसल के विकास की प्रक्रिया (क्रॉप फिजियोलॉजी), खेती के आधुनिक तरीकों और सीजन के दौरान कीटों से बचाव के व्यावहारिक उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

इस पहल पर टिप्पणी करते हुए राजवेलु एनके, सीईओ- क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, ने कहा कि दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि ज्ञान की समय पर पहुंच जरूरी है। उन्होंने बताया कि मिट्टी की गुणवत्ता, फसल के विकास की प्रक्रिया (क्रॉप फिजियोलॉजी) और कीटों के चक्र के बारे में किसानों की समझ मजबूत करने से उन्हें बदलते कृषि परिवेश में सटीक निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। विश्व दलहन दिवस की इस पहल के माध्यम से गोदरेज एग्रोवेट ने क्षमता निर्माण और टिकाऊ फसल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय किसानों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया, जो देश में एक मजबूत दलहन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायक है।

कोई भी प्रभावित किसान राहत से वंचित न रहे - प्रभारी मंत्री श्री सिलावट

ग्वालियर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्वालियर जिले की चीनौर तहसील में गत दिनों हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के खाते में 20 फरवरी तक राहत राशि पहुँचाई जायेगी। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने गुरुवार को जिले में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की राहत राशि वितरण के संबंध में समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी ओलावृष्टि से प्रभावित किसान राहत राशि से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मुरार सर्किट हाउस में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरण के संबंध में समीक्षा की। बैठक में विधायक भितरवार श्री मोहन सिंह राठौर, ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री प्रेम सिंह राजपूत, आईजी श्री अरविंद कुमार सक्सेना, डीआईजी श्री अमित सांघी, कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह, सीईओ जिला पंचायत श्री सोजान सिंह रावत, एसडीएम भितरवार श्री राजीव समाधिया सहित राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि प्रभावित सभी गाँवों में सर्वे के उपरांत प्रभावितों की सूची पंचायत कार्यालय पर भी चस्पा की जाए ताकि कोई भी प्रभावित वंचित न रह सके। इसके साथ ही सभी प्रभावितों के एकाउण्ट नम्बर भी प्राप्त करें, ताकि राहत राशि प्रभावित के खाते में पहुँच सके। विधायक भितरवार श्री मोहन सिंह राठौर ने भी ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को समय पर राहत राशि देने की बात कही। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के उपरांत भी अगर कोई प्रभावित रह गया हो तो उसे भी शामिल किया जाए।

कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने बताया कि ग्वालियर जिले की चीनौर तहसील में 3 फरवरी 2026 को असमायिक हुई ओलावृष्टि से 8 ग्राम प्रभावित हुए हैं। जिनमें प्रारंभिक सर्वे के अनुसार 1711 किसानों का कुल रकबा 1117.022 हैक्टेयर प्रभावित हुआ है।

प्रभावित किसानों की सूची सर्वेक्षण के उपरांत ग्राम पंचायत में दावा-आपत्ति के लिये चस्पा कर दी गई है। 17 फरवरी तक किसान दावा ङ्क आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के बैंक खाता नम्बर एकत्रित किए जाकर राहत राशि वितरण हेतु क्षति पत्रक तैयार किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बताया कि जिले की चीनौर तहसील के 8 गाँवों के कुल 1711 किसानों के खातों में 2 करोड़ 63 लाख 24 हजार 079 रुपए की राशि राहत के रूप में वितरित की जाना है।

रुद्राक्ष महोत्सवः ऑटो/बस स्टैंड एवं पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था निर्धारित

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। रुद्राक्ष महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए व्यापक एवं विशेष प्रबंध किए गए हैं। कुबेरेश्वर धाम में 14 फरवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित होने वाले महोत्सव के दौरान भोपाल ङ्कइंदौर मार्ग स्थित मुख्य हाईवे के दोनों ओर ऑटो एवं बस स्टैंड चिन्हित किए गए हैं। ये अस्थायी स्टैंड लगभग 8 से 10 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में यात्री वाहनों की पार्किंग की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध रहेगी। पहला ऑटो/बस स्टैंड फूलमोगरा जोड़ पर तथा दूसरा ऑटो स्टैंड गुडभेला जोड़ पर निर्धारित किया गया है। प्रशासन द्वारा सभी ऑटो, बस, वैन एवं अन्य यात्री वाहनों के चालकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने वाहन निर्धारित ऑटो/बस स्टैंड में ही पार्क करते हुए श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को उतारें, ताकि मुख्य हाईवे सुचारू एवं अवरोध-मुक्त बना रहे।

इसी क्रम में महोत्सव अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने हेतु 10 अलग-अलग वाहन पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। सभी पार्किंग स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल की तैनाती के साथ-साथ पी.ए. सिस्टम आदि की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे वाहन चालकों एवं श्रद्धालुओं को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किए जा सकें।

प्रशासन द्वारा सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों में ही खड़े करें तथा मुख्य हाईवे पर वाहन लगाकर यातायात बाधित न करें। आमजन से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है कि वे पार्किंग स्थलों में ही अपने वाहन पार्क कर सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है।

सात एकड़ में फैला पीएनबी कृषक प्रशिक्षण केन्द्र बना नवाचारों का केंद्र, किसानों को आधुनिक तकनीकों से कर रहा सशक्त

विदिशा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पंजाब नेशनल बैंक कृषक प्रशिक्षण केन्द्र, विदिशा अपने सात एकड़ विस्तृत परिसर में संचालित बहुआयामी गतिविधियों के माध्यम से किसानों के लिए नवाचार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता का प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है। यह केन्द्र कृषि क्षेत्र में नवीन तकनीकों के प्रयोग, वैकल्पिक आय स्रोतों के विकास और व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को आधुनिक खेती की ओर अग्रसर कर रहा है।

प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशक श्री अजय परिहार ने बताया कि यह प्रशिक्षण केन्द्र कृषकों को परंपरागत खेती के साथ-साथ आय बढ़ाने वाले सहायक व्यवसायों से भी जोड़ रहा है। परिसर में प्रदर्शन आधारित प्रशिक्षण मॉडल अपनाया गया है, जहां किसान स्वयं देखकर और अभ्यास कर तकनीक सीखते हैं। यहां पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

केन्द्र में विकसित विभिन्न डेमो यूनिट्स किसानों को यह समझाने में सहायक हैं कि सीमित संसाधनों में भी कैसे बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य, जल संरक्षण, जैविक खाद निर्माण तथा कीट एवं रोग नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों पर विशेष जोर दिया जाता है। इससे कृषकों की लागत घटाने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिल रही है।

पीएनबी प्रशिक्षण केन्द्र केवल कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के लिए भी कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। कम्प्यूटर शिक्षा, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कुकिंग, हस्तकला जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है।

केन्द्र द्वारा आयोजित कृषक भ्रमण, किसान मेले, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, पशु चिकित्सा शिविर एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ग्रामीण विकास की समग्र सोच को दर्शाते हैं। यहां प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। विशेष बात यह है कि सात एकड़ के इस परिसर को एक लाइव लर्निंग लैब के रूप में विकसित किया गया है, जहाँ खेत, पशु इकाई, खाद निर्माण, पौध उत्पादन और प्रसंस्करण गतिविधियाँ एक ही स्थान पर देखने को मिलती हैं। यह मॉडल किसानों को सीखो और अपनाओ÷ की अवधारणा से जोड़ता है।

इस प्रकार पीएनबी कृषक प्रशिक्षण केन्द्र विदिशा जिले ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के किसानों के लिए नवाचार, ज्ञान और आत्मनिर्भरता का प्रेरक केन्द्र सिद्ध हो रहा है।

आगामी त्यौहारों के मद्देनजर प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी भगोरिया एवं होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर नेहा मीना एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों की समन्वय बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कलेक्टर नेहा मीना ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा पर्वों के दौरान कानून-व्यवस्था पूर्णतः चाक-चौबंद रहे। भगोरिया मेले के आयोजन स्थलों पर झूलों एवं अस्थायी संरचनाओं का सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ले-आउट सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक मेला स्थल के लिए पृथक आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाए तथा पर्याप्त पुलिस बल एवं प्रशासनिक अमले की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि भगोरिया के दौरान प्रवेश एवं निकास मार्गों की स्पष्ट एवं व्यवस्थित व्यवस्था रहे, जिससे भीड़ का सुचारु आवागमन हो सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। साथ ही पशु मेलों में सघन जांच की जाए। गोवंश के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए तथा गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि ना होने पाए।

पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह ने निर्देशित किया कि भीड़ प्रबंधन के लिए पूर्व से ही समुचित कार्ययोजना तैयार की जाए। भगोरिया मेला आयोजित होने वाले स्थानों का संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस दल द्वारा अनिवार्य रूप से पूर्व निरीक्षण किया जाए। मेला स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम, सीसीटीवी एवं प्रभावी उद्घोषणा (अनाउंसमेंट) व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि भगोरिया के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत नियमित पेट्रोलिंग की जाए तथा संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाए। होली पर्व के अवसर पर 'ड्रंक एंड ड्राइव' के मामलों की रोकथाम हेतु सघन वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया जाए, जिससे दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रतिपाल सिंह महोबिया सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने धरमपुरी की गौशाला का निरीक्षण किया

खण्डवा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने गुरूवार को जिले के ग्राम धरमपुरी स्थित गौशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गौशाला संचालक से गौशाला की व्यवस्थाओं के सम्बंध में पूछताछ की और निर्देश दिए कि गौशाला में रहने वाले गौवंश की बेहतर देखभाल और पालन पोषण करें। इस दौरान खण्डवा के एसडीएम श्री ऋषि कुमार सिंघई भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गौशाला का फर्श बहुत खराब स्थिति में था। गौशाला संचालक द्वारा बताया गया कि गत जून माह में ही गौशाला उन्हें हैण्डओवर की गई है, तभी से फर्श खराब स्थिति में है। इसके साथ ही पशुओं के पानी के लिए बनी होद में पानी रूकता नहीं है, पूरा पानी लीक हो जाता है। जिस पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्माण एजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री से निर्माण कार्य की विस्तृत जांच कराने तथा सम्बंधित उपयंत्री व सहायक यंत्री के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गौशाला के लिए दी गई चरनोई भूमि पर चारे के स्थान पर गेहूं की फसल लगाई गई है। जिस पर कलेक्टर श्री गुप्ता ने नाराजगी प्रकट की तथा भविष्य में गेहूं या सोयाबीन जैसी फसल न लगाते हुए नेपियर घास या चारे की अन्य फसलें लगाने की सख्त हिदायत दी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ. हेमन्त शाह को निर्देश दिए कि पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के माध्यम से गौशालाओं की व्यवस्थाओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण में जो भी कमियां या समस्याएं पाई जाएं, उनका निराकरण भी समय पर किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने गौशाला की अव्यवस्थाओं के सम्बंध में निरीक्षण व रिपोर्टिंग न करने के लिए धरमपुरी क्षेत्र के सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी तथा विकासखण्ड पशु चिकित्सा अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

पीजी कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर, विद्यार्थियों को दी कानूनी जानकारी

खरगोन/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डलेश्वर के मार्गदर्शन एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री प्रीति जैन के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खरगोन में 12 फरवरी को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्यार्थियों को अपने जीवन में शिष्टाचार अवश्य सीखना चाहिए, क्योंकि हमारा व्यवहार हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। प्रत्येक नागरिक को कानून की जानकारी होना चाहिए, जो विधिक सेवा द्वारा आम जन को कानूनी रूप से साक्षर बनाती है।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मण्डलोई ने बताया कि विधिक सेवा जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता एवं सलाह प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति को संवैधानिक अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। विशेष रूप से छात्राओं को पॉक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि घूरकर बुरी नियत से देखना, पीछा करना, सोशल मीडिया पर फॉलो करना या अश्लील कमेंट्स करना अपराध की श्रेणी में आता है। यदि ऐसी कोई घटना होती है हो तो पुलिस में शिकायत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस आम जनता एवं पीड़ितों की मदद के लिए सदैव सजग एवं सहयोगी रहती है। इसके अलावा, पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ित महिलाओं को सरकार द्वारा पुनर्वास, मेडिकल एवं क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाती है।

शिविर में नालसा की नशा मुक्ति योजना, बाल विवाह, बाल श्रम, बेघर बच्चों की पहचान कर उनका बचाव एवं समुचित पुनर्वास, नालसा की हेल्पलाइन नंबर 15100 एवं नालसा (तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों के लिए विधिक साक्षरता शिविर) योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सुरेश वास्के, प्राध्यापक डॉ. राजेंद्र चौहान एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम -2026 आयोजित केवायसी पर विशेष फोकस

बडवानी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2016 से आमजन के विभिन्न वर्गों को लक्षित करते हुए प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का आयोजन 9 से 13 फरवरी, 2026 तक किया जा रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह का इस वर्ष का थीम केवायसी-सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित एवं भरोसेमंद बैंकिंग व्यवस्था के लिए केवायसी की अहमियत को जन-जन तक पहुँचाना है। इस अभियान के अंतर्गत, ई-केवायसी को लेकर जन-जागरूकता को और मज़बूत करने के लिए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 के दौरान लोगों को केवायसी से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी जा रही हैं। इसी के अंतर्गत 12 फरवरी को शासकीय आईटीआई कॉलेज बड़वानी एवं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़वानी में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि एवं प्रमुख प्रवक्ता के रूप में आरबीआई भोपाल से एलडीओ श्री विनय मोरे एवं जिला अग्रणी प्रबंधक बड़वानी श्री संदीप अग्रवाल उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान आरबीआई एलडीओ श्री विनय मोरे द्वारा प्रतिभागियों को केवायसी अपडेट के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल, मैसेज और लिंक से सतर्क रहने की सलाह दी गई, ताकि किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान एवं तिंनक से बचा जा सके। एलडीएम श्री अग्रवाल द्वारा प्रतिभागियों को प्रलोभन में आकर मनी म्यूल बनने के दुष्परिणामों के बारे में भी जागरूक किया गया। आयोजन में शासकीय आईटीआई कॉलेज से 120 विद्यार्थियों के साथ कॉलेज स्टाफ एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज से 70 प्रतिभागी उपस्थित रहे। संचालन संकाय सदस्य यश सेठी द्वारा किया गया।

जनगणना 2027 की तैयारियों हेतु प्रशिक्षण आयोजित

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जनगणना 2027 की तैयारियों के अंतर्गत भोपाल स्थित जनगणना कार्य निदेशालय से श्री शुभम द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में जनगणना की रूपरेखा, प्रशासनिक व्यवस्था, डिजिटल प्रक्रिया एवं समय-सीमा की जानकारी दी गई। बताया गया कि जनगणना 2027 पूर्णतः डिजिटल माध्यम से संपादित की जाएगी। यह दो चरणों में आयोजित होगी, प्रथम चरण (मकानसूचीकरण) 01 मई से 30 मई 2026 तक तथा द्वितीय चरण (जनसंख्या गणना) फरवरी 2027 में, जिसकी संदर्भ तिथि 01 मार्च 2027 निर्धारित है। प्रशिक्षण में HLO App, PE App, Self Enumeration पोर्टल एवं CMMS पोर्टल के उपयोग की जानकारी दी गई। साथ ही अवगत कराया गया कि आगामी 23 एवं 24 फरवरी को जिले के विभिन्न अधिकारियों हेतु मास्टर ट्रेनर एवं फील्ड ट्रेनर का प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री सी.एस. सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर श्री महेश बड़ोले, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रीतिका पाटीदार, डिप्टी कलेक्टर सुश्री वैशाली सोलंकी, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती सुप्रिया बिसेन सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर की अध्यक्षता में बैंकों की जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार एवं समीक्षा समिति की बैठक संपन्न

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्रीमती जयति सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी के सभागार में बैंकों की जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई।बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उदारता एवं लगन के साथ शासकीय प्रायोजित योजनाओं में हितग्राहियों को ऋण प्रदान करें, ताकि वे स्वयं का व्यापार-व्यवसाय शुरू कर शासन की योजनाओं की सार्थकता सिद्ध कर सकें। उन्होंने कहा कि ऋण प्रकरणों के निराकरण में कोई समस्या हो तो विभागीय समन्वय अधिकारी से संपर्क करें। कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष की वार्षिक साख योजना की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए संतोष व्यक्त किया और शेष लक्ष्यों को समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी ऋण, पीएम स्वनिधि, महिला स्वसहायता समूह ऋण, उद्यम क्रांति, पीएम विश्वकर्मा, पीएमएफएमई, पशुपालन ऋण से जुड़ी योजनाओं में बैंकों द्वारा वितरित ऋण की विस्तृत समीक्षा भी की।

वन अधिकार अधिनियम 2006 अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल के निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों, विशेषकर सामुदायिक वन अधिकारों तथा धारा 3(1)(झ) के अंतर्गत उल्लिखित सामुदायिक वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी अधिकारों को मान्यता प्रदान किए जाने के विषय में जिले में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 10 एवं 11 फरवरी 2026 को किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले की उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समितियों के शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं ग्राम सभा की भूमिका पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण के दौरान जिले के ग्रामों में सामुदायिक वन अधिकारों के प्रबंधन एवं संरक्षण के संबंध में ग्राम सभा द्वारा गठित वन अधिकार समिति एवं वन प्रबंधन समिति की भूमिका स्पष्ट की गई। प्रतिभागियों को बताया गया कि किस प्रकार ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप वन संसाधनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं पुनर्जीवन (रिजनरेशन) सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही औषधीय पौधों, लघु वनोपज, गोंद उत्पाद तथा बांस (बाम्बू) आदि के संरक्षण, संवर्धन एवं विक्रय की प्रक्रिया के संबंध में भी विस्तार से मार्गदर्शन दिया गया।

प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि पेसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को प्रदत्त अधिकारों का पालन करते हुए ग्राम विकास कार्यों एवं विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन ग्राम सभा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्थानीय समुदायों की भागीदारी सशक्त हो तथा वन आधारित आजीविका को बढ़ावा मिल सके।

कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर्स श्री अविनाश मद्दूर, श्री समाधान पाटिल एवं श्री तलवाल द्वारा विभिन्न सत्रों में विषयवार प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान भी किया गया तथा व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से अधिनियम की प्रक्रियाओं को समझाया गया।

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्रं-05
(नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना)
क्रमांक : सम्पत्तिकर/झोन-05/2026 उज्जैन, दिनांक 13/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पवन पिता ओमप्रकाश पाटीदार के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/02/2026 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वार्ड क्रमांक 40 अंतर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) भू क्रं. 152 तिरूपति कासा ग्रीन फेस 1 कालोनी उज्जैन का नामांकन आवेदक के द्वारा स्वयं के नाम से किये जाने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न सम्पत्ति स्वामी सपना पति सर्वेस सिंह बघेल आवेदक के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति (स्व प्रमाणित) प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन आवेदक के नाम से किये जाने का निवेदन किया है। इसका प्रकरण क्रमांक - 375/2026-7 पीटी है।

अतः इस नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) के नामांकन करने में किसी भी वैध वारिस/उत्तराधिकारी/व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था/बैंक/न्यायालयीन प्रकरण आदि से संबंधित की कोई आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में नया प्रमाण (अभिलेख) के कार्यालय, राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्र. 05 में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत होने वाली आपत्ति मान्य नहीं होकर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आवेदक पवन पिता ओमप्रकाश पाटीदार के पक्ष में कर दिया जावेगा तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक - 05, मक्सी रोड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्रं-05
(नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना)
क्रमांक : सम्पत्तिकर/झोन-05/2026 उज्जैन, दिनांक 13/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रवीण पाटीदार पिता दिनेश पाटीदार के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/02/2026 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वार्ड क्रमांक 40 अंतर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) भू क्रं. 220 तिरूपति कासा ग्रीन फेस 1 कालोनी उज्जैन का नामांकन आवेदक के द्वारा स्वयं के नाम से किये जाने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न सम्पत्ति स्वामी तिरूपति इन्फ्रा 01 महेश पिता स्व नारायण दास जी परियानी 02 दिलीप पिता स्व नारायणदास जी परियानी निवासी महाश्वेता नगर आवेदक के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति (स्व प्रमाणित) प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन आवेदक के नाम से किये जाने का निवेदन किया है। इसका प्रकरण क्रमांक - 374/2026-7 पीटी है।

अतः इस नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) के नामांकन करने में किसी भी वैध वारिस/उत्तराधिकारी/व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था/बैंक/न्यायालयीन प्रकरण आदि से संबंधित की कोई आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में नया प्रमाण (अभिलेख) के कार्यालय, राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्र. 05 में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत होने वाली आपत्ति मान्य नहीं होकर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आवेदक प्रवीण पाटीदार पिता दिनेश पाटीदार के पक्ष में कर दिया जावेगा तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक - 05, मक्सी रोड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्रं-05
(नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना)
क्रमांक : सम्पत्तिकर/झोन-05/2026 उज्जैन, दिनांक 13/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ममता बाई पति जीवन सिंह के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/02/2026 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वार्ड क्रमांक 40 अंतर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) भू क्रं. 35 दक्षिण भाग सर्वे 65/1 मी शंकरपुर उज्जैन का नामांकन आवेदक के द्वारा स्वयं के नाम से किये जाने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न सम्पत्ति स्वामी मुकेश पिता हनुमानप्रसाद खंडेलवाल आवेदक के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति (स्व प्रमाणित) प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन आवेदक के नाम से किये जाने का निवेदन किया है। इसका प्रकरण क्रमांक - 378/2026-7 पीटी है।

अतः इस नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) के नामांकन करने में किसी भी वैध वारिस/उत्तराधिकारी/व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था/बैंक/न्यायालयीन प्रकरण आदि से संबंधित की कोई आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में नया प्रमाण (अभिलेख) के कार्यालय, राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्र. 05 में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत होने वाली आपत्ति मान्य नहीं होकर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आवेदक ममता बाई पति जीवन सिंह के पक्ष में कर दिया जावेगा तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक - 05, मक्सी रोड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्रं-05
(नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना)
क्रमांक : सम्पत्तिकर/झोन-05/2026 उज्जैन, दिनांक 13/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकमंजू बाई पति जगदीश के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/02/2026 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वार्ड क्रमांक 40 अंतर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) भू क्रं. 35 उत्तर भाग सर्वे 65/1 मी शंकरपुर उज्जैन का नामांकन आवेदक के द्वारा स्वयं के नाम से किये जाने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न सम्पत्ति स्वामी आदिश पिता विपिन कुमार पाटनी आवेदक के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति (स्व प्रमाणित) प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन आवेदक के नाम से किये जाने का निवेदन किया है। इसका प्रकरण क्रमांक - 379/2026-7 पीटी है।

अतः इस नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) के नामांकन करने में किसी भी वैध वारिस/उत्तराधिकारी/व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था/बैंक/न्यायालयीन प्रकरण आदि से संबंधित की कोई आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में नया प्रमाण (अभिलेख) के कार्यालय, राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्र. 05 में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत होने वाली आपत्ति मान्य नहीं होकर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आवेदक मंजू बाई पति जगदीश के पक्ष में कर दिया जावेगा तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक - 05, मक्सी रोड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्रं-05
(नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना)
क्रमांक : सम्पत्तिकर/झोन-05/2026 उज्जैन, दिनांक 13/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकरचना पति प्रदीप गोमे के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/02/2026 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वार्ड क्रमांक 40 अंतर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) भू क्रं. ई 07 ई डब्ल्यू एस तिरूपति कासा ग्रीन फेस 1 कालोनी उज्जैन का नामांकन आवेदक के द्वारा स्वयं के नाम से किये जाने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न सम्पत्ति स्वामी महेश पिता हरिनारायण पाटीदार आवेदक के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति (स्व प्रमाणित) प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन आवेदक के नाम से किये जाने का निवेदन किया है। इसका प्रकरण क्रमांक - 377/2026-7 पीटी है।

अतः इस नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) के नामांकन करने में किसी भी वैध वारिस/उत्तराधिकारी/व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था/बैंक/न्यायालयीन प्रकरण आदि से संबंधित की कोई आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में नया प्रमाण (अभिलेख) के कार्यालय, राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्र. 05 में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत होने वाली आपत्ति मान्य नहीं होकर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आवेदक रचना पति प्रदीप गोमे के पक्ष में कर दिया जावेगा तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक - 05, मक्सी रोड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्रं-05
(नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना)
क्रमांक : सम्पत्तिकर/झोन-05/2026 उज्जैन, दिनांक 13/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 1 प्रेम बाई पति मनोहर लाल शर्मा 2 मनोहर पिता हरिनारायण शर्मा जी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/02/2026 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वार्ड क्रमांक 40 अंतर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) भू क्रं. 10 का भाग 10/29 मैत्री निकुंज कालोनी पंवसा उज्जैन का नामांकन आवेदक के द्वारा स्वयं के नाम से किये जाने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न सम्पत्ति स्वामी राजेश पिता शंकरलाल जी माहेश्वरी आवेदक के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति (स्व प्रमाणित) प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन आवेदक के नाम से किये जाने का निवेदन किया है। इसका प्रकरण क्रमांक - 373/2026-7 पीटी है।

अतः इस नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) के नामांकन करने में किसी भी वैध वारिस/उत्तराधिकारी/व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था/बैंक/न्यायालयीन प्रकरण आदि से संबंधित की कोई आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में नया प्रमाण (अभिलेख) के कार्यालय, राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्र. 05 में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत होने वाली आपत्ति मान्य नहीं होकर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आवेदक 1 प्रेम बाई पति मनोहर लाल शर्मा 2 मनोहर पिता हरिनारायण शर्मा जी के पक्ष में कर दिया जावेगा तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक - 05, मक्सी रोड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

कार्यालय, नगर पालिक निगम, उज्जैन
राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्रं-05
(नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना)
क्रमांक : सम्पत्तिकर/झोन-05/2026 उज्जैन, दिनांक 13/02/26

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक 1 संतोष पति अनुप सिंह जी 2 रितेश सिंह ठाकुर पिता अनुप सिंह जी के द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 07/02/2026 को प्रस्तुत कर उल्लेखित किया है कि वार्ड क्रमांक 40 अंतर्गत सम्पत्ति (भवन/भूमि) भू क्रं. 19/8 उत्तरी भाग केसर बाग परिसर पंवासा उज्जैन का नामांकन आवेदक के द्वारा स्वयं के नाम से किये जाने के लिए आवेदन पत्र के संलग्न सम्पत्ति स्वामी 1 किशोर पिता द्वारकादास जी धनानी 2 रिया पति किशोर धनानी आवेदक के पक्ष में सम्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र की छायाप्रति (स्व प्रमाणित) प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन आवेदक के नाम से किये जाने का निवेदन किया है। इसका प्रकरण क्रमांक - 376/2026-7 पीटी है।

अतः इस नामांकन विज्ञप्ति जाहिर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की समय सीमा में उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) के नामांकन करने में किसी भी वैध वारिस/उत्तराधिकारी/व्यक्ति/संस्था/वित्तीय संस्था/बैंक/न्यायालयीन प्रकरण आदि से संबंधित की कोई आपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में नया प्रमाण (अभिलेख) के कार्यालय, राजस्व विभाग (सम्पत्तिकर), झोन क्र. 05 में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकेगा, निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्रस्तुत होने वाली आपत्ति मान्य नहीं होकर उक्त सम्पत्ति (भवन/भूमि) का नामांकन मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के प्रावधान अनुसार आवेदक 1 संतोष पति अनुप सिंह जी 2 रितेश सिंह ठाकुर पिता अनुप सिंह जी के पक्ष में कर दिया जावेगा तत्पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

सहायक राजस्व अधिकारी
झोन क्रमांक - 05, मक्सी रोड
नगर पालिक निगम, उज्जैन

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

शिवरात्रिः 44 घंटे खुले रहेंगे महाकालेश्वर मंदिर के पट

महाशिवरात्रि के लिए महाकाल में तैयारियां हुई पूरी, 10 लाख श्रृध्दालु आएंगे

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। महाशिवरात्रि पर्व 15 फरवरी को मनेगा। इसके एक दिन पहले 14 फरवरी की दरिमयानी रात 2.30 बजे खोले जाएंगे। इसके बाद से भक्तों को लगातार 44 घंटे भगवान महाकाल के दर्शन होंगे। इस दौरान गर्भगृह में भगवान के अभिषेक-पूजन का क्रम सतत जारी रहेगा। 16 फरवरी को शयन आरती के बाद रात 11 बजे मंदिर के पट पुन- बंद होंगे।

महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आशीष गुरु ने बताया कि 14 फरवरी शनिवार रात 2.30 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भस्म आरती होगी। रविवार सुबह 7.30 बजे बालभोग (दद्योदक) तथा सुबह 10.30 बजे भोग आरती होगी। दोपहर 12 बजे तहसील की ओर से शासकीय पूजन होगा। शाम 4 बजे होलकर व सिंधिया स्टेट की ओर से पूजा की जाएगी। शाम 7.30 बजे संध्या आरती में भगवान को गर्म मीठे दूध का भोग लगाया जाएगा। शाम सात बजे से कोटितीर्थ कुंड के समीप स्थित भगवान श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि की महापूजा शुरू होगी। पुजारी कोटेश्वर महादेव का अभिषेक-पूजन कर सप्त धान अर्पित करेंगे। उसके

बाद पुष्प मुकुट सजाकर आरती की जाएगी। इसके बाद रात 11 बजे से गर्भगृह में महानिशा काल में महाकाल की महापूजा शुरू होगी, जो अगले दिन नौ मार्च को सुबह छह बजे तक चलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल पंचामृत, फलों के रस, गुलाब जल, भांग आदि से अभिषेक-पूजन किया जाएगा। 16 फरवरी को भगवान को सप्तधान अर्पित उनके शीश सवामन फल व फूलों से बना पुष्प मुकुट सजाया जाएगा। सोने-चांदी के आभूषणों से भगवान का श्रृंगार होगा। भगवान पर चांदी का सिक्का व बिल्व पत्र न्योछावर किया जाएगा। भगवान को फलों का भोग लगाकर आरती की जाएगी। सेहरा दर्शन के उपरांत साल में एक बार दिन में दोपहर 12 बजे होने वाली भस्म आरती होगी। भस्म आरती के बाद भोग आरती होगी और शिवनवरात्र का पारणा होगा। रात 10.30 बजे शयन आरती के बाद रात 11 बजे मंदिर के पट बंद होंगे। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर्व संपन्न होगा।

महाशिवरात्रि पर इस बार कई शुभ संयोग- महाशिवरात्रि इस बार बहुत ही विशेष मानी जा रही है। दरअसल इस दिन शिव योग, सर्वार्थसिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग, साध्य योग, शुक्ल योग, ध्रुव योग, व्यतिपात और वरियान योग का भी प्रभाव बना रहेगा। वहीं पूरे दिन सर्वार्थसिद्धि योग रहेगा। पर्व के दौरान ग्रहराज सूर्य और भाग्य ग्रह शुक्र कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। दोनों ग्रहों की युति इस राशि में होने से शुक्रादित्य योग बन रहा है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर शुक्रादित्य का दुर्लभ संयोग भी इस बार रहेगा। इन सभी योगों में मंदिरों में अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।

44 घंटे में कब-कब आरती पूजा होगी

शनिवार - रविवार की मध्य रात्रि 2.30 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भस्म आरती होगी।

रविवार सुबह 7.30 से 8.15 बजे तक दद्योदक (बालभोग) आरती होगी।

सुबह 10.30 से 11.15 बजे तक भोग आरती होगी।

दोपहर 12 बजे तहसील की ओर से भगवान महाकाल की शासकीय पूजा होगी।

शाम 4 बजे से होलकर व सिंधिया राजवंश की ओर से पूजा अर्चना की जाएगी।

शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक कोटेश्वर महादेव का पूजन व सेहरा श्रृंगार होगा।

रात 11 बजे से गर्भगृह में महाकाल की महापूजा होगी, जो सारी रात चलेगी।

सोमवार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सेहरा दर्शन होंगे।

दोपहर 12 बजे साल में एक बार दिन में भस्म आरती होगी।

दोपहर 2 बजे बालभोग व भोग आरती होगी।

रात 11 बजे शयन आरती के बाद पट बंद होंगे।

गेहूं फसल कटाई के बाद किसान फसल के अवशेष को नही जलाएं

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शासन की मंशानुसार जिले में कृषकों को नरवाई ना जलाने एवं इसके बेहतर प्रबंधन के संबंध में लगातार प्रयास किये जा रहे है। इसी क्रम में कलेक्टर के मार्गदर्शन में 12 फरवरी को जिले के हार्वेस्टर संचालकों एवं प्रगतिशील कृषकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य गेहूं फसल कटाई उपरांत बचे हुए फसल अवशेष को न जलाते हुए इसका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बेहतर विकल्पों पर चर्चा कर इसकी रोकथाम के उपाय निकलना था। विभाग द्वारा लगातार संगोष्ठी/प्रशिक्षण/भ्रमण के माध्यम से किसानों को नरवाई में आग ना लगते हुए इसके बेहतर प्रबंधन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैठक में नरवाई जलाने में जिले की स्थिति, नरवाई में आग लगाने के कारणों, निवारण, आजगनी की घटनाओं को रोकने, नरवाई के प्रबंधन करने, नरवाई प्रबंधन की तकनीके, हार्वेस्टर संचालकों को आ रही समस्या एवं शासन से उनकी अपेक्षा एवं सभी के साझा प्रयास जैसे विषयो पर चर्चा की गई।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री शाश्वत शर्मा ने बताया कि फसल कटाई में प्रयुक्त होने वाले हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ रीपर का उपयोग अतिआवश्यक है एवं इसका उपयोग हार्वेस्टर संचालकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। जिससे कि फसल कटाई उपरांत आगजनी की घटनाए ना हो साथ ही पशुधन के लिए पर्याप्?त भूसा उपलब्ध हो सके। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पथरीली या असमतल जमीन है एवं स्ट्रॉ रीपर का उपयोग संभव नहीं है ऐसे खेतों में गेहूं कटाई का कार्य रीपर कम बाईण्डर से किया जाए। इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

जीवनखेड़ी में घाट निर्माण की मिट्टी धंसने से दबा मजदूर

उज्जैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शिप्रा नदी के 19 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहे घाट निर्माण के दौरान जीवनखेड़ी में बुधवार को हादसा हो गया। मिट्टी धंसने पर मजदूर दब गया, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। गुरुवार सुबह बड़वानी से परिवार के आने पर पोस्टमार्टम कराया गया है। नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि जीवन खेड़ी में शिप्रा नदी किनारे घाट का निर्माण किया जा रहा है, बुधवार को काम के दौरान अचानक निर्माणाधीन घाट की मिट्टी से बनी दीवार धंस गई। जिसके नीचे मजदूर दब गया, उसे बाहर निकालने के लिए जेसीबी बुलवाई गई आधे घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक मजदूर सुरेश पिता नरसिंह 35 साल डूंगर गांव बड़वानी का रहने वाला था। पुलिस ने मामले की सूचना परिजनों को दी। आज सुबह परिजन उज्जैन पहुंचे भाई कुशल ने बताया कि सुरेश एक माह पहले ही मजदूरी के लिए उज्जैन आया था उसके साथ जीजा भी आए थे लेकिन वह दूसरे स्थान पर चल रहे घाट निर्माण कार्य में मजदूरी कर रहे थे। सुरेश पांच बच्चों का पिता था परिवार मजदूरी का ही काम करता है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा, जिसे अंतिम संस्कार के लिए बड़वानी ले जाया गया है। शहर में सिंहस्थ निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें ब्रिज निर्माण, सड़क निर्माण घाट निर्माण जैसे कई कार्यों के लिए बाहर से मजदूर आए हुए हैं, 11 दिन पहले इंदौर उज्जैन सिक्स लेन मार्ग पर बना रहे ब्रिज निर्माण के सरियों के नीचे झारखंड का मजदूर दब गया था जिसकी मौके पर मौत हो गई थी, चार दिन पूर्व बड़नगर मार्ग मुल्लापुरा क्षेत्र में चल रहा है ब्रिज निर्माण के दौरान मशीन चलाते समय पश्चिम बंगाल के मजदूर को हाथ में करंट लग गया था और उसकी जान चली गई थी, इससे पहले दिसंबर माह में नेपाल के मजदूर की मौत भैरूगढ़ थाना क्षेत्र में चल रहा है सीवरेज प्लांट निर्माण के दौरान मौत हुई थी। नेपाल के मजदूर की मौत के मामले में भैरवगढ़ थाना पुलिस द्वारा ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का प्रकरण दर्ज किया जा चुका है।

उज्जैन डाक विभाग की विशेष उपलब्धि, 1 करोड़ रुपए से अधिक का डाक जीवन बीमा प्रीमियम संग्रहित

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रवर अधीक्षक डाक विभाग द्वारा दी गई जानकारी अनुसार भारतीय डाक विभाग के उज्जैन संभाग ने वित्तीय समावेशन और जनकल्याण के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कर्मचारियों की अथक मेहनत से डाक जीवन बीमा के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक की प्रीमियम राशि संग्रहित की गई, जिससे 1080 नागरिकों को एक दिन में बीमा लाभ प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में उज्जैन में भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पोस्टमास्टर जनरल (इंदौर क्षेत्र) सुश्री प्रीति? अग्रवाल रहीं। समारोह की अध्यक्षता उज्जैन संभाग के प्रवर अधीक्षक श्री अजय कुमार ने की। इस दौरान 50 से अधिक उत्कृष्ट डाक कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

शादी-ब्याह की बसों पर बढ़ा परमिट शुल्क... अब महंगा होगा सफर

अस्थायी परमिट भी महंगा, 100 किमी तक 200 रुपये प्रति सीट, ट्रक खरीद पर बदला टैक्स सिस्टम, मालभाड़ा बढ़ने के आसार

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शादी-विवाह, बारात और धार्मिक आयोजनों में चलने वाली बसों को अब पहले से ज्यादा परमिट शुल्क देना होगा। परिवहन विभाग ने विशेष अवसरों पर चलने वाली बसों के शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

अब इन बसों के लिए परमिट शुल्क 12 रुपये प्रतिदिन प्रति सीट से बढ़ाकर 18 रुपये प्रतिदिन प्रति सीट कर दिया गया है। यानी 50 सीट वाली बस पर पहले जहां 600 रुपये प्रतिदिन शुल्क लगता था, अब 900 रुपये देने होंगे।

अस्थायी परमिट भी महंगा- परिवहन विभाग ने टेंपरेरी (अस्थायी) परमिट की दरों में भी बढ़ोतरी की है। नई व्यवस्था के अनुसार 100 किलोमीटर तक 200 रुपये प्रति सीट शुल्क लिया जाएगा। इसके बाद हर अतिरिक्त 10 किलोमीटर पर 12 रुपये प्रति सीट देना होगा। पहले यह दर 10 रुपये प्रति 10 किलोमीटर प्रति सीट थी।

अधिकारियों का कहना है कि लंबी दूरी के रूट पर चलने वाली बसों की निगरानी और राजस्व संतुलन के लिए यह बदलाव जरूरी था।

उपनगरीय बसों को राहत- जहां विशेष बसों पर शुल्क बढ़ाया गया है, वहीं उपनगरीय बसों को राहत दी गई है। पहले इन्हें 150 रुपये प्रतिमाह प्रति सीट शुल्क देना पड़ता था। अब यह घटाकर 150 रुपये प्रति तिमाही प्रति सीट कर दिया गया है। इससे नियमित संचालन करने वाले बस संचालकों को फायदा होगा।

ट्रक टैक्स में भी बदलाव- परिवहन विभाग ने ट्रकों के टैक्स सिस्टम में भी बदलाव किया है। पहले ट्रक की चेसिस और बॉडी पर अलग-अलग टैक्स लिया जाता था। अब यदि कोई रेडी ट्रक खरीदता है तो उसे मूल कीमत का 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं केवल चेसिस खरीदने पर 6 प्रतिशत टैक्स लगेगा। बॉडी पर अलग से टैक्स नहीं लिया जाएगा।

किराए और मालभाड़े पर असर संभव- बस और ट्रक ऑपरेटरों का कहना है कि बढ़ी हुई दरों का सीधा असर किराये और मालभाड़े पर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला बाजार की स्थिति और मांग पर निर्भर करेगा।

परिवहन विभाग का कहना है कि यह कदम व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और राजस्व संतुलन के लिए उठाया गया है। आने वाले दिनों में इसका असर शादी-ब्याह की बस बुकिंग और माल परिवहन दरों पर देखने को मिल सकता है।

सिंहस्थ में बिछड़े बच्चों के लिए अस्थाई आश्रय स्थल बनेगा

स्टेशन पर चाइल्ड लाइन सेवा के लिए अमला भी बढ़ाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सिंहस्थ 2028 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुंचने की संभावना है और इस दौरान कई बच्चे परिजनों से बिछडने की संभावना रहेगी। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-1 पर चाइल्ड लाइन सेवा की शुरुआत की है और पर्व के दौरान नजदीक ही बच्चों के लिए अस्थाई आश्रय स्थल भी बनाया जाएगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि यह सेवा प्लेटफार्म नंबर-1 पर स्थित जीआरपी थाना परिसर के समीप संचालित की जा रही है। सिंहस्थ के दौरान यदि कोई बच्चा अपने माता-पिता से बिछड़ जाता है अथवा स्टेशन परिसर में लावारिश अवस्था में पाया जाता है, तो उसे तुरंत चाइल्ड लाइन कक्ष में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ अवधि के लिए यहां अस्थाई आश्रय स्थल भी तैयार किया जाएगा, जहां बच्चों को सुरक्षित वातावरण में रखा जाएगा। माता-पिता के मिलने तक बच्चों के लिए खान-पान, रहने और देखरेख की समुचित व्यवस्था रहेगी। लगातार तलाश के बावजूद यदि किसी बच्चे के परिजनों का पता नहीं चलता है, तो नियमानुसार उसे बाल गृह भेजा जाएगा। स्टेशन पर शुरू की गई इस चाइल्ड लाइन सेवा को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने 24 घंटे स्टाफ तैनात किया है। वर्तमान में दो-दो कर्मचारियों की 8-8 घंटे की तीन शिफ्टों में कुल 6 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सिंहस्थ के दौरान यात्रियों की संख्या बढने पर अतिरिक्त अमला भी तैनात किया जाएगा।

6 महीने में 12 हजार से अधिक लोगों को कराए तीर्थ दर्शन

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना उज्जैन से स्तिथ प्रदेश के धर्मस्व विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही है। विभाग द्वारा पिछले 6 महीने में उज्जैन सहित प्रदेश के 44 जिलों के 12 हजार से अधिक लोगों को ट्रेनों के माध्यम से तीर्थ दर्शन कराए जा चुके हैं। वहीं इस साल मार्च अंत तक यह आंकड़ा 19 हजार से अधिक पहुंच जाएगा।

धर्मस्व विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत आईआरसीटीसी की भारत गौरव ट्रेनों के माध्यम से प्रदेश के 44 जिलों के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 25 अगस्त 2025 से 30 मार्च 2026 तक कुल 24 ट्रेनें संचालित की जानी हैं, जिनसे 19,200 वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे। अब तक 25 अगस्त 2025 से 31 जनवरी 2026 के बीच 16 ट्रेनों के माध्यम से 12,800 तीर्थ यात्रियों को यात्रा कराई जा चुकी है। यात्रियों को यात्रा, भोजन और ठहरने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई।

नागदा के युवक ने जेथल में खाया जहर, मौत

पत्नी ने साथ चलने से किया था माना

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। बीती शाम पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे पति ने जहर खा लिया। उसे अस्पताल लाया गया लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। गुरुवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही है।

नागदा की जबरन कॉलोनी में रहने वाला राहुल पिता मांगीलाल खिंची 32 वर्ष बीती शाम पत्नी को लेने के लिए ससुराल ग्राम छबरीखेड़ा पहुंचा था। बस से उतरते ही उसने पत्नी ममता को कॉल किया और लेने आने की बात कही। पत्नी के परिजनों ने फोन पर ही भेजने से मना कर दिया। इतना सुनते ही राहुल ने जहरीला पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ी तो लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया जहां कुछ घंटे चले उपचार के बाद राहुल की मौत हो गई। आज सुबह पोस्टमार्टम के दौरान सामने आया कि राहुल पेंटरी का काम करता था और शराब पीने का आदी था। उसकी आदतों के चलते चार माह से पत्नी दो बच्चों के साथ मायके में ही रह रही थी। वह राहुल से नशा छोड़ने की बात कह चुकी थी लेकिन राहुल नशे का आदी हो चुका था। पुलिस द्वारा मामले में मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया गया। शव अंतिम संस्कार के लिए परिजन नागदा लेकर गए हैं।

इधर परिजनों से बोल खा लिया जहर- घर के बाहर सो रहे युवक ने रात में जहर खा लिया। हालत बिगड़ी तो परिजनों को नींद से जगाया और जहर खाने की जानकारी दी। युवक को अस्पताल लाया गया। मामला इंगोरिया के ग्राम मकड़ावन में रहने वाले गोवर्धन पिता तेजालाल परिहार 18 वर्ष का है। उपचार के दौरान रात में ही युवक की मौत हो गई।

परिजनों ने बताया कि गोवर्धन खाना खाने के बाद घर के बाहर बरामदे में सोने चला गया था। उसने जहर क्यों खाया इसकी जानकारी नहीं है।

पंचमपुरा मार्ग के लोग अपने हाथों से उजाड़ने लगे आशियाना

सात दिन में निर्माण हटाने का अल्टीमेटम, एक-दो फीट के लिए टूट रहे पक्के मकान, दुकानों-मकानों पर असर

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। टैगोर चौराहा से पंचमपुरा (पुष्पा मिशन से दो तालाब) तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण योजना ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है। नगर निगम द्वारा नोटिस जारी करते ही रहवासी और व्यापारी असमंजस में हैं। कई लोगों ने तो नुकसान से बचने की कोशिश में अपने मकानों और दुकानों का हिस्सा खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है।

नगर निगम ने इस संकरे सिंगल लेन मार्ग को भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर 60 फीट चौड़ा करने की योजना बनाई है। इसके तहत सड़क किनारे स्थित निर्माणों की मार्किंग कर संबंधित लोगों को सात दिन के भीतर अतिक्रमण या प्रभावित हिस्से को स्वयं हटाने का नोटिस दिया गया है।

एक-दो फीट के लिए पूरा ढांचा खतरे में- क्षेत्र में कई ऐसे मकान और दुकानें हैं, जिनका केवल एक से दो फीट हिस्सा—जैसे ओटला या गैलरी—सड़क की जद में आ रहा है। लोगों का कहना है कि इतने छोटे हिस्से के कारण पूरा पक्का निर्माण तोड़ना पड़ेगा, जिससे लाखों रुपये का नुकसान होगा।

पंचमपुरा चौराहा क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। यहां करीब 50 से अधिक मकान और दुकानें नोटिस की जद में आई हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि निर्माण तोड़ा गया तो उनका कारोबार भी प्रभावित होगा।

डिवाइडर की चौड़ाई कम करने का सुझाव- स्थानीय रहवासियों और व्यापारियों ने निगम प्रशासन को एक सुझाव भी दिया है। उनका कहना है कि प्रस्तावित योजना में सड़क के बीच तीन से साढ़े तीन फीट चौड़ा डिवाइडर बनाया जाना है। यदि इस डिवाइडर की चौड़ाई कुछ कम कर दी जाए तो सड़क की कुल चौड़ाई पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और किनारे के मकानों को राहत मिल सकती है।

लोगों की मांग है कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करें और तकनीकी समाधान निकालें, ताकि सड़क चौड़ीकरण भी हो जाए और आम लोगों का आर्थिक नुकसान भी कम से कम हो।

फिलहाल क्षेत्र में असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है। लोग प्रशासन के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं।

जिला सहकारी बैंक देवास से 8 करोड की धोखाधडी में 4 पर नामजद प्रकरण दर्ज

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। ईओडब्ल्यू भोपाल ने देवास जिला सहकारी बैंक की राजोदा प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था में हुए 8 करोड के धोखाधडी मामले में प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण में महेश जैन तत्कालीन सचिव एवं सहायक प्रबंधक, दिलीप नागर तत्कालीन पर्यवेक्षक, अनिल दुबे तत्कालीन शाखा प्रबंधक शाखा मंडी, श्रीमती रामकन्या बाई पति तंवरसिंह चौहान, अध्यक्ष बृहताकार प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था मर्यादित राजोदा के साथ अन्य को आरोपी बनाया गया है।

ईओडब्ल्यू एसपी समर वर्मा ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि आरोपी अधिकारियों द्वारा किसानो के पास उपलब्ध वास्तविक भूमि से 400 हेक्टेयर अधिक भूमि दर्शाकर वास्तविक पात्रता से 5 करोड़ रूपये से अधिक राशि का ऋण नियम विरूद्ध तरीके से वितरित किया गया।एक ही सीजन में किसानों की फसल का एक से अधिक बार बीमा कर 65 लाख रूपये से अधिक के क्लेम स्वीकृत कराकर राशि प्राप्त की गई। सचिव ने किसानों के खातों से विड्राल पर स्वयं हस्ताक्षर कर 1 करोड रूपए से अधिक का आहरण किया गया।

भोपाल में शिकायत,उज्जैन में सत्यापन- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल में पंजीबद्ध शिकायत क्रमांक-278/19 का उज्जैन इकाई के द्वारा सत्यापन करने पर पाया कि वृहत्ताकार प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित राजोदा जिला देवास एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित देवास के अध्यक्ष प्रबंधक, सचिव व पर्यवेक्षक ने मिलकर वर्ष 2016-2019 के बीच समिति के सदस्य किसानों की जानकारी के बिना उनकी पात्रता से अधिक ऋण स्वीकृत कर शासन की विभिन्न ऋण माफी व बीमा योजनाओं का लाभ उक्त ऋण खातों में प्राप्त दिखा. किसानों के खातों से अवैध रूप से करोड़ों रूपये निकाल लिये। आरोपीगण द्वारा शासन, बैंक व किसानों के साथ धोखाधड़ी व आपराधिक न्यासभंग करना पाये जाने से उनके विरुद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया।

भूमि अधिक दर्शाकर किया घोटाला- किसानों के पास उपलब्ध भूमि अनुसार उनकी साख सीमा निर्धारित कर उन्हें ऋण दिया जाना था। आरोपीगणों ने स्वयं के लाभ के लिये सदस्य किसानों के पास उपलब्ध भूमि से वर्ष 2016-2017 में 139 हेक्टेयर, वर्ष 2017-2018 में 129 हेक्टेयर व वर्ष 2018-2019 में 137 हेक्टेयर भूमि अधिक दर्शाकर पात्रता से साढे पांच करोड़ रूपयों अधिक ऋण किसानों की जानकारी के बिना स्वीकृत किये। किसानों की साख सीमा बिना स्वीकृत किए उक्त तीन वर्षों में तीन करोड़ रूपयों से अधिक का ऋण प्रदान किया गया है। 300 किसानों का कृषि बीमा उनकी सामान्य साख सीमा स्वीकृत किये बिना या एक ही फसल का एक वर्ष में एक से अधिक बार कृषि बीमा कर 65 लाख रूपयों की बीमा राशि आरेपीगणों द्वारा अवैध रूप से प्राप्त कर ली गयी, जिसके लिये किसानों के आवेदनों में स्वयं के मोबाईल नम्बर आरोपीगणों द्वारा लेख करना पाया गया।

गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज- आरोपियों ने धोखाधडी व आपराधिक न्यासभंग कर शासन, बैंक व किसानों को करोड़ो रूपयों की आर्थिक हानि कारित कर स्वयं को आर्थिक लाभ पहुंचाना प्रथमदृष्टया प्रमाणित पाया गया।ईओडब्ल्यू ने आरापीगणों के विरूद्ध धारा 420,409,467,468,471,201,120 बी भादवि एवं 13(1) (क), 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं धारा 13(1) (ख), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

रिमांड पर चाकू मारकर आभूषण लूटने वाले बदमाश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शादी से लौट रहे पुत्र और मां पर चाकू से हमला कर सोने-चांदी के आभूषणों के साथ मोबाइल लूटने वाले 3 बदमाशों को गुरुवार दोपहर न्यायालय में पेश किया गया और पूछताछ के लिए दो दिनों का रिमांड मांगा गया। बदमाशों से 6 लाख के आभूषण बरामद किए गए हैं। बदमाशों में दो सगे भाई हैं।

बिरलाग्राम थाना क्षेत्र के ग्राम गिंदवानिया में रहने वाले राहुल गुर्जर अपनी माता पन्नाबाई के साथ 4 फरवरी को शादी में शामिल होने ग्राम बरखेड़ा गया था। देर शाम लौटते वक्त खुरमुडी मार्ग ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने पाइप से हमला कर दोनों को गिरा दिया था और चाकू से वार कर पन्नाबाई से 1 किलो 700 ग्राम चांदी के आभूषण, सोने मुर्की और मोबाइल लूट लिया था। पन्नाबाई गंभीर घायन हुई थी। मामले में पुलिस ने राहुल गुर्जर की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 309 (6), 3 (5) का प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की थी। 6 दिनों की तलाश के बाद बुधवार को लूट में शामिल 3 बदमाशों को ग्राम घिनौदा भाटपचलाना क्षेत्र से पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बदमाशों में दिनेश पिता जानकीलाल मोंगिया 25 साल निवासी ग्राम खेरवास जिला धार, उसका भाई घनश्याम मोंगिया 30 साल और गणेश उर्फ गणपत पिता दशरथ मोंगिया 40 साल निवासी मंदसौर है। पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर चांदी का कंदोरा, आंवले, कड़े, सोने की मुर्की, वीवो मोबाइल, लोहे का पाइप, चाकू, टीवीएस रेडॉन मोटर साइकिल बरामद की। थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि तीनों बदमाशों को गुरुवार दो पर न्यायालय में पेश किया गया था जहां से पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। बदमाशों में शामिल घनश्याम के खिलाफ 11 और दिनेश के खिलाफ 9 आपराधिक मामले चोरी लूट के दर्ज है।